प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण

सत्र के अंत तक प्रतिभागीः–

- शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम में अंतर कर सकेंगे।
- प्रशिक्षण के व्यवस्थित दृष्टिकोण की चार अवस्थाओं का वर्णन कर सकेगे।
- प्रशिक्षण गतिविधियों में अधिगत इकाई (स्मंतदपदह न्दपज) की अवधारण को लागू कर सकेगे।

परिचयः प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण

जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। परिवर्तन नई तकनीक, नीति में बदलाव के पुनर्गठन के कारण हो सकते हैं। परिवर्तन का एक अनिवार्य परिणाम है – सीखने की आवश्यकता।

परिवर्तन के संदर्भ में ध्यान में रखने योग्य बिंदुः

- किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं।
- परिवर्तन का लोगों के प्रदर्शन पर प्रभाव।
- आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- सीखने के लिए आवश्यक समय।
- न सीखने पर होने वाले परिणाम।

प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य कुशलता
- गुणवत्ता में सुधार के लिए
- समय, सामग्री और धन के बेहतर उपयोग के लिए
- कर्मियों के बेहतर उपयोग के लिए
- लागत में कमी के लिए
- कर्मचारियों की क्षमता की बेरतर पहचान के लिए
- मनोबल बढ़ाने के लिए

वेजफेड – एक अवलोकन

वेजफेड क्या है?

वेजफेड सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सब्जी किसानों को सशक्त बनाना है। यह एक त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से काम करता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड स्तर की समितियाँ (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर जिला संघ, और राज्य स्तर पर शीर्ष संघ शामिल हैं। वेजफेड का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, सब्जियों की बर्बादी को कम करना, और बाजार तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है, साथ ही उन्हें अच्छी गुणवत्ता के बीज और तकनीकी सहायता भी प्रदान करना है। संक्षेप में, वेजफेड बिहार के सब्जी किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक संगठित प्रयास है।

वेजफेड का उदेश्य,महत्व और चुनौतियाँ

बिहार में कई सब्जी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसेः

- **कम कीमतें**ः अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिलना।
- **बर्बादी**ः सब्जियां बिकने से पहले ही खराब हो जाना।
- **बाजार तक पहुंचः** खरीदारों तक पहुंचने और दूर–दूर तक बेचने में कठिनाई।
- **अच्छी गुणवत्ता वाले** बीज, उर्वरक और आधुनिक तकनीक तक पहुंच न होना।

इन समस्याओं से निपटने के लिए, बिहार सरकार ने वेजफेड बनाया। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य हैः

- यह सुनिश्चित करना कि किसान अपनी सब्जियों की उचित कीमत पाकर अधिक कमाएं।
- भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन में सुधार करके उपज की बर्बादी को रोकना।
- किसानों के लिए अपनी सब्जियां अधिक स्थानों पर बेचना आसान बनाना।
- किसानों को आवश्यक इनपुट, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करना।
- उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सब्जियां प्रदान करना।

संक्षेप में, वेजफेड सब्जी की खेती के लिए एक सुचारू, कुशल और निष्पक्ष प्रणाली बना रहा है।

त्रिस्तरीय संरचना(PVCS,संघ,फ़ेडरेशन)

यह तीन–स्तरीय प्रणाली का उपयोग करता हैः

- **स्तर 1** PVCS (आपकी स्थानीय समूह): यह गांव/ब्लॉक स्तर पर "प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति" है। यहां, किसान अपनी उपज को इकट्ठा करने, छांटने और स्थानीय रूप से बेचने के लिए एक साथ आते हैं, और आवश्यक इनपुट, प्रशिक्षण और ऋण तक पहुंच प्राप्त करते हैं। PVCS प्रतिनिधि के रूप में आप यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **स्तर 2** क्षेत्रीय संघ (जिलों का समूह): ये समूह कुछ जिलों के PVCS को एक साथ लाते हैं, सब्जियों को संसाधित, पैक, स्टोर और बाजार में बेचते हैं। वे PVCS को मदद और सहायता भी प्रदान करते हैं।
- **स्तर 3** वेजफेड (राज्य स्तर): राज्य स्तर पर शीर्ष निकाय। यह सभी क्षेत्रीय संघों और PVCS का समन्वय करता है और राज्य के अंदर और बाहर विपणन का प्रबंधन करता है। यह प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी एकीकरण का भी संचालन करता है।
- बिहार सरकार का सहकारिता विभाग पूरे वेजफेड प्रणाली की देखरेख करता है।

यह कहाँ शुरू हुआ?

वेजफेड को पहले पांच जिलों (पटना, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली और समस्तीपुर) में पायलट चरण के रूप में शुरू किया गया था और यह 20 जिलों में अब विस्तार कर चुका है।

यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

एक PVCS प्रतिनिधि के रूप में, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप किसानों और बाज़ार प्रणाली के बीच सीधा संबंध हैं। आपका काम उचित कीमतों, कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है और वेजफेड की समग्र सफलता में योगदान देता है।

संक्षेप में, वेजफेड बिहार में सब्जी किसानों को उचित कीमतें, बाजार और एक बेहतर भविष्य के लिए सहायता प्रदान करके सशक्त बनाने का एक प्रयास है।

PVCS में आपकी भूमिका : एक सरल व्याख्या

PVCS क्या है?

• PVCS यानी "प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति"। यह आपके ब्लॉक स्तर की समिति है, जो सब्जी किसानों को एक साथ जोड़ती है।

•यह वेजफेड का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहीं से सारी प्रक्रिया शुरू होती है।

PVCS का उद्देश्य

समिति का उद्देश्य सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था की उन्नति करना होगा । विशेषकरः

1. अपने सदस्यों में स्वावलंबन, पारस्परिक सहायता, मितव्ययिता और सहयोग का भाव पैदा करना।
2. सदस्यों द्वारा उत्पादित सब्जी की फसल को यथासंभव अधिक से अधिक लाभ पर बेचने का प्रबंध करना।
3. सदस्य के अभिकर्ता (एजेंट) की तरह काम करना और सब्जी उत्पादन संशय, यदि हो, से ठेका (कॉन्ट्रैक्ट) लेकर सब्जी की मिट को समयदृसमय पर निर्धारित दर पर पहुँचाने का प्रबंध करना।
4. सदस्यों की सब्जी की फसल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रबंध ।
5. अच्छे बीज, खाद और खेती करने के उन्नत औजार तथा खेती की दूसरी आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए सदस्यों के एजेंट का काम करना।
6. सदस्यों द्वारा बेची गई सब्जी के मूल्य को संशय से प्राप्त करना और सदस्यों में शीघ्र बाँटने का उचित प्रबंध करना।
7. कृषि विभाग द्वारा बताये गये सब्जी की खेती करने के आधुनिक तरीकों का प्रचार करना।
8. सदस्यों को खेती करने, बीज औजार आदि खरीदने के लिए ऋण तथा उत्पादित फसल के प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन का प्रबंध करना।
9. ऐसे काम करना जिससे उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ति हो।

कार्यक्षेत्र

यह प्रखंड स्तर समिति है एवं इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रखंड तक सीमित है

सदस्यताः

प्रत्येक व्यक्ति को जिसका चालदृचलन अच्छा हो, जिसका दिमाग ठीक हो, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला हो, और समिति के कार्य क्षेत्र में रहता हो, और सब्जी का उत्पादन स्वयं या अन्य की भूमि पर करता हो, वैसे व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते वह अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार सदस्यता की योग्यता रखता हो।

सदस्यों का प्रवेशः

नीचे लिखे व्यक्ति समिति के सदस्य होंगे।

- योग्य व्यक्ति जिन्हों ने नामनत्थी करने के लिए दरखास्त पर हस्ताक्षर किया हो।

- वे व्यक्ति जो प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा बाद में सदस्य के रूप में चुने जायेंगे। प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबंधकारिणी कमिटी के पास नमूने हुए का फॉर्म पर दरखास्त देंगे।जो उचित जाँच पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त को मंजूर अथवा नामंजूर करेगी।नामंजूर की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को आमसभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

- सदस्य होने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को नमूने हुए कॉलम में लिखे इस आशय के एकरारनामा पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह समिति के वर्तमान उपनियमों का तथा ऐसे नियमों का पाबंदी रखेगा।जिसे प्रबंधकारिणी समिति आम सभा की अनुमति से बनायेगी।वह व्यक्ति जो पहले ही से इसके लिए सदस्य है कि उस ने रजिस्ट्री की दरखास्त पर हस्ताक्षर किया है, उसे भी इस प्रकार के एकरारनामें पर हस्ताक्षर करना होगा।अगर वह समिति की रजिस्ट्री होने की तिथि से 1 (एक) महीने के भी तर से एकरारनामें पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें तो उस 500 (पाँच सौ) रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा या सदस्यता से निकाला जा सकेगा।

- प्रत्येक सदस्य के लिए यह जरूरी होगा कि जब कभी जरूरत हो अपनी पूँजी और जिम्मेदारी पूर्ण एवं सही बयान समिति को देय दिऐ साबयान नहीं देया कर्ज को छिपायेया इस तरह छिपा कर समिति से कर्ज लेने के लिए दोषी पाया जाये तो उसपर 500 (पाँच सौ) रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है या सदस्यता से निकाल दिया जा सकता है।

PVCS का गठन

प्रबंधकारिणी कमिटी का गठन :– प्रबंधकारिणी कमिटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित 13 (तेरह) सदस्य होंगे जिसमें प्रबंधक, प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा नियुक्त प्रबंधकारिणी कमिटी का पदेन सदस्य होगा।

आपकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

1. PVCS के प्रतिनिधि के रूप में, आप किसानों और वेजफेड के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
2. आपकी भूमिका किसानों के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करने में कि किसानों को सही दाम मिले और उनकी सब्जियां बर्बाद न हों।
3. आपकी सक्रियता से पूरा सिस्टम बेहतर ढंग से काम करता है।

PVCS के काम

PVCS कई काम करता है, जिनमें शामिल हैं:

1. सब्जियां इकट्ठा करनाः किसानों से सब्जियां इकट्ठा करना और उन्हें एक जगह पर लाना।
2. सब्जियों की छंटाईः सब्जियों को छांटना, साफ करना और अच्छी तरह से तैयार करना।
3. स्थानीय बिक्रीः स्थानीय बाजारों में सब्जियों को बेचना और आगे भेजना।
4. उत्पादन की योजना बनानाः किसानों को यह तय करने में मदद करना कि क्या उगाना है और कब उगाना है।

5. खेती के सामानः किसानों को अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराना।
6. खेती की सलाहः आधुनिक खेती के तरीके सिखाना।
7. सब्ज़ी उत्पादों का प्रोसेसिंग कर खाद्य उत्पाद जैसे अचार, जैम, पापड़, ड्राई एवं फ्रोजेन फूड्स, एवं अन्य प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद बनाना एवं उनका प्रसंस्करण।
8. लोन की मददः किसानों को खेती के लिए लोन दिलवाना।
9. सुविधाओं को सृजित करना : मंडी, गोदाम, कोल्ड–स्टोरेज जैसी सुविधाओं को समिति के सदस्यों को प्रदान करना।

PVCS अध्यक्ष की भूमिका

1. PVCS की मीटिंग की अध्यक्षता करना।
2. PVCS का प्रतिनिधित्व करना, यानी वेजफेड के दूसरे हिस्सों से बात करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि च्टब्ै कायदे से चले।
4. सब काम ईमानदारी से हो और किसी के साथ धोखा न हो।

PVCS प्रबंधक की भूमिका

1. PVCS के रोजमर्रा के काम को संभालना।
2. PVCS के सभी कर्मचारियों का ध्यान रखना।
3. सब्जियों को सही तरीके से इकट्ठा करना, छांटना और बेचना।
4. किसानों को खेती का सामान और दूसरी मदद पहुंचाना।
5. रोजाना के हिसाब–किताब को सही रखना।
6. समिति को सुचारू रूप से चलाना।

क्षेत्रीय संघ और वेजफेड से संबंध

PVCS अकेले काम नहीं करता

- जैसे एक परिवार में सब एक–दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही PVCS भी अकेले काम नहीं करता है।
- यह क्षेत्रीय संघ (त्महपवदंस न्दपवद) और वेजफेड (टमहमिक) के साथ मिलकर काम करता है।

क्षेत्रीय संघ क्या है?

- क्षेत्रीय संघ कुछ जिलों को मिलाकर बना होता है।
- यह PVCS से थोड़ा बड़ा होता है।
- यह PVCS और वेजफेड के बीच की कड़ी है।

क्षेत्रीय संघ का काम

- यह PVCS से सब्जियां लेता है।
- सब्जियों को साफ करता है, पैक करता है, और कोल्ड स्टोरेज में रखता है ताकि वो खराब ना हों।
- यह सब्जियां बेचने का इंतजाम करता है।

- यह PVCS को तकनीकी मदद भी करता है।

वेजफेड का काम

- यह देखता है कि सभी क्षेत्रीय संघ और PVCS सही तरीके से काम करें।
- यह सब्जियों को राज्य के अंदर और बाहर बेचने का इंतजाम करता है।
- यह लोगों को ट्रेनिंग देता है ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सकें।
- यह सिस्टम को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।

वेजफेड क्यों बनाया गया?

जैसा कि हमने पहले सीखा, वेजफेड को इसलिए बनाया गया है ताकिः

- किसानों को अपनी सब्जियों का सही दाम मिले।
- सब्जियां बर्बाद न हों।
- किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सब्जियां बेचने में मदद मिले।
- [ाती के लिए अच्छी चीजें मिलें और किसानों को सही सलाह मिले।

क्षेत्रीय संघ और वेजफेड के साथ संबंध क्यों जरूरी है?

- अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
- क्षेत्रीय संघ और वेजफेड दोनों ही PVCS की मदद करते हैं, ताकि किसानों को ज्यादा मुनाफा हो।
- एक साथ काम करने से सब्जियों को सही जगह पर बेचा जा सकता है और वे बर्बाद भी नहीं होंगी।

आपकी जिम्मेदारी

- आपको क्षेत्रीय संघ के साथ मिलकर काम करना होगा।
- वेजफेड के नियमों का पालन करना होगा।
- आपको समय–समय पर क्षेत्रीय संघ और वेजफेड से जानकारी लेनी होगी।

PVCS उपनियम – आपके अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी

उपनियम क्या हैं, और ये क्यों जरूरी हैं?

• उपनियम, जिन्हें अंग्रेजी में "इलम–सूँ" कहा जाता है, दरअसल आपकी प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) के नियम और कानून हैं। ये नियम एक तरह से PVCS के संविधान की तरह काम करते हैं, जो यह तय करते हैं कि PVCS कैसे काम करेगी, इसके सदस्य कौन होंगे, इसके कामकाज का तरीका क्या होगा, और सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे।

• ये नियम हर सदस्य पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह अध्यक्ष हो या साधारण सदस्य। इन नियमों का पालन करना हर सदस्य के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यही सुनिश्चित करते हैं कि PVCS सुचारू रूप से और पारदर्शिता के साथ काम करे। उपनियमों का सही पालन एक संगठित और सफल PVCS की नींव रखता है।

सदस्यताः PVCS का सदस्य कौन बन सकता है?

• सदस्यता के लिए पात्रताः कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आपके क्षेत्र (आपके ब्लॉक) में रहता हो, और खुद या किसी और की जमीन पर सब्जियां उगाता हो, PVCS का सदस्य बन सकता है। यह जरूरी है कि सदस्य कृषि कार्यों से जुड़ा हो और PVCS के उद्देश्यों में योगदान करने के लिए तैयार हो।

• सदस्यता कैसे प्राप्त करेंः PVCS का सदस्य बनने के लिए, आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें PVCS के नियमों का पालन करने का वादा करना होगा। आपको अपनी संपत्ति और देनदारी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इस प्रक्रिया से PVCS को नए सदस्यों को स्वीकार करने में मदद मिलती है। किसान ऑनलाइन के माध्यम से https://tarkaari.in पर जा कर भी सदस्यता आवेदन कर सकता है।

• सदस्यता शुल्कः सदस्य बनने के लिए आपको 100 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर सदस्य PVCS की गतिविधियों में अपना योगदान देंगे ।

सदस्यों के अधिकारः एक सदस्य के रूप में आपके पास क्या–क्या अधिकार हैं?

सदस्य बनने के बाद, आपको कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं, जिनमें शामिल हैंः

• **जानकारी का अधिकारः** PVCS के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, जैसे कि हिसाब–किताब की किताबें, बैठकों के विवरण और अन्य जरूरी कागजात तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। यह आपको PVCS के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है।

• **प्रशिक्षण और शिक्षा का अधिकारः** आपको PVCS द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य सहकारी शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इससे आपको खेती की नई तकनीक सीखने और PVCS के संचालन को समझने में मदद मिलेगी।

• **नामांकन का अधिकार**: अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने बकाया पैसे (जो भी देय हों) के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे।

• **सदस्यता वापस लेने का अधिकार**: एक वर्ष की सदस्यता के बाद, आप PVCS की सदस्यता छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक महीने पहले इसकी लिखित सूचना देनी होगी। हालांकि, आपको यह याद रखना चाहिए कि सदस्यता छोड़ने से पहले PVCS के सभी बकाया चुकाने होंगे।

सदस्यों के कर्तव्यः PVCS के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं?

PVCS के सदस्य के रूप में, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जिनका आपको पालन करना होगाः

• **अपनी उपज को PVCS के माध्यम से बेचना**: PVCS के नियमों के अनुसार अपनी सब्जियों को PVCS के माध्यम से बेचना आपकी जिम्मेदारी है। यह PVCS की सामूहिक बिक्री प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

• **PVCS की बैठकों में भाग लेना**: PVCS की बैठकों में हिस्सा लेना और PVCS के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। यह सामूहिक निर्णय लेने और PVCS को मजबूत बनाने में मदद करता है।

• **ईमानदारी से काम करना**: PVCS के साथ सभी लेन–देन में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इससे PVCS पर सभी सदस्यों का विश्वास बना रहता है।

• **PVCS के नियमों का पालन करना**: PVCS के सभी नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि PVCS सुचारू रूप से काम कर सके।

सदस्यता से निष्कासनः सदस्यता कब रद्द हो सकती है?

1. यदि आप PVCS के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
2. यदि आप PVCS से लिया गया कर्ज समय पर वापस नहीं करते हैं।
3. यदि आपके कार्यों से PVCS की वित्तीय स्थिति या प्रतिष्ठा को नुकसान होता है।
4. निष्कासन से पहले, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, और आप आम सभा में अपील कर सकते हैं।

सदस्यता का समापनः सदस्यता कब खत्म हो जाती है?

1. यदि आपके पास PVCS का कम से कम एक शेयर न हो।
2. यदि आप PVCS के परिचालन क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं।
3. यदि आप PVCS को सदस्यता छोड़ने के लिए एक महीने पहले लिखित सूचना देते हैं।
4. यदि आपकी सदस्यता नियमों के तहत निष्कासित कर दी जाती है।
5. यदि आपकी मृत्यु हो जाती है या आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं।

पैसों का प्रबंधनः PVCS के पैसों का प्रबंधन कैसे होता है?

PVCS के पैसे कई स्रोतों से आ सकते हैंः

1. सदस्यों द्वारा खरीदे गए शेयर
2. बैंकों और अन्य सहकारी समितियों से लिया गया कर्ज
3. सरकार से मिली वित्तीय सहायता
4. सदस्यों और अन्य लोगों से मिले दान

PVCS को इन पैसों का प्रबंधन बहुत जिम्मेदारी से करना होता है। कर्ज की सीमा तय की जाती है और तय नियमों के अनुसार ही पैसे का निवेश किया जा सकता है।

शेयर का प्रबंधनः शेयर क्या है और इसे कैसे प्रबंधित किया जाता है?

- हर सदस्य को PVCS के शेयर खरीदने का अधिकार है। शेयर खरीदने के बाद आपको शेयर प्रमाण पत्र मिलता है।
- आप एक साल बाद अपने शेयर किसी और सदस्य को बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए च्टैै की प्रबंधन समिति की मंजूरी जरूरी है।
- यदि आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो आपको अपने शेयर के पैसे वापस मिल जाएंगे।
- कर्ज लेने की सीमाः– कर्ज एवं जमा पर समिति की पूर्ण बाह्य देन उसकी वसूल की हुई हिस्सा पूंजी एवं सुरक्षित कोष (रिजर्व फंड) के दस गुने से अधिक नहीं होगा। किन्तु यह सीमा निबन्धक सहयोग समितियाँ की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।
- हिस्सा पूंजीः– समिति की हिस्सा पूंजी 300000.00 (तीन लाख) हिस्से से बनेगी। एक हिस्से का मूल्य 100 (एक सौ) रूपये होगी। सदस्य को हिस्से की कीमत प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित रूप से एक मुश्त या किस्तों में देनी पडेगी। प्रबन्धकारिणी कमिटी किस्तों को अदा करने के लिए समय की बढ़ाती कर सकती है। कोई सदस्य बेचे जाने वाले हिस्से के 1/5 (पंचमांष) से अधिक हिस्से को नहीं खरीद सकता है।
- जिन सदस्यों के जिम्मे हिस्से की किस्तों का रूपया बाकी होगा, वे आम या प्रबनधकारिणी कमिटी की सभा में बोट देने के अधिकारी नहीं होगे। उन्हें कर्ज नहीं दिया जायेगा तथा वे खरीद बिक्री के कार्यो में भाग नहीं ले सकेंगे। दिए गये 2 (दो) महीने की सूचना के अन्दर यदि किसी सदस्य ने किस्त नहीं चुकायी हो तो उसे समिति से निकाल दिया जायेगा और हिस्से की मद में किये गये भुगतान जब्त कर लिए जायेगें और वह रकम सुरक्षित कोष में (रिजर्व फंड) में मिला दी जायेगी। वे सदस्य जो विशेष चन्दों के भुगतान में लगातार दो महीने में अधिक देर करेंगे उन्हे समिति से निकाल दिया जायेगा बशर्ते प्रबन्धकारिणी कमिटी समय की बढ़ती ने दे।
- हिस्सों का हस्तांतरण या वापसीः–
  (क) कोई भी सदस्य तबतक अपना हिस्सा हस्तान्तरित नहीं कर सकता है जबतक किः–
  1. कम से कम ऐसे हिस्से का एक वर्ष तक मालिक न रहा हो तथा
  2. हस्तांतरकारी व्यक्ति प्राधिकारिणी कमिटी द्वार स्वीकृत न हो।

     (ख) निय 13 के अन्तर्गत सदस्यता की समाप्ति होने पर सदस्य का हिस्सा या हिस्से का निस्तार बिहार को–ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट (1935 के ऐक्ट 6) की 24वीं धारा तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जायेगा।

आम बैठकें: PVCS में निर्णय कैसे लिए जाते हैं?

PVCS में तीन प्रकार की बैठकें होती हैं:

• वार्षिक आम बैठकः यह बैठक साल में एक बार होती है, जिसमें PVCS के पूरे साल के हिसाब–किताब, आय–व्यय और योजना पर चर्चा होती है।

• विशेष आम बैठकः यह बैठक किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कभी भी बुलाई जा सकती है।

• असाधारण आम बैठकः यह बैठक प्रबंधन समिति द्वारा या फिर 1/5 सदस्यों की मांग पर बुलाई जा सकती है।

कारमः– कुल सदस्यों की संख्या का पंचमास आम सभाओं के लिए कोरम की संख्या होगी। यदि सभा असाधारण आम सभा रहे और कोरम की संख्या पूरी न हो सके तो सभापति उसे विघटित कर देंगे। यदि यह एक साधारण आम सभा है तो वह उसे कम से कम 7 दिन और अधिक 15 दिनों तक स्थगित कर देंगे। कार्यक्रम में कुछ हेरफेर नहीं किया जायेगा। अगर इस प्रकार की स्थगित सभा में भी कोरम की संख्या पूरी न हो तो कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की 3/4 (तीरन चौथाई) संख्या से पास होगा।

प्रबंधक समितिः PVCS को कौन चलाता है?

PVCS का प्रबंधन एक 13 सदस्यीय प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और प्रबंधक जैसे पद शामिल होते हैं।

- प्रबन्धकारिणी कमिटीः–

(क) समय–समय पर आम सभा के निदेश के अनुसार समिति के कार्यों का प्रबन्ध एक प्रबन्धकारिणी कमिटी के हाथ में रहेगा।

(ख) प्रबन्धकारिणी कमिटी का कार्यकाल 5 वर्षो का होगा।

- प्रबन्धकारिणी कमिटी का गठनः– प्रबन्धकारिणी कमिटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित 13 सदस्य होंगे जिसमें प्रबंधक, प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा नियुक्त प्रबंधकारिणी कमिटी का पदेन सदस्य होगा।
- प्रबन्धकारिणी कमिटी का निर्वाचनः– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित सभी बारह पदधारकों/सदस्यों का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा संचालित तरीके से होगा।
- प्रबंधकारिणी कमिटी की बैठक जब कभी भी आवश्यकता होगी, हो सकती है परन्तु तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य ही होगी जिसमें 7 सदस्यों के द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य प्रबंधकारिणी कमिटी की अध्यक्षता करेंगे।
- अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य प्रबंधकारिणी कमिटी की अध्यक्षता करेंगे।
- प्रबंधकारिणी कमिटी में सभी बातें बहुमत से निश्चित की जायेगी। सभापति के पद पर रहने वाले व्यक्ति को दोनो पक्षों में बराबर वोट हाने की अवस्था में एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। कोई भी उस काम के लिए वोट नहीं दे सकता है जिस काम से उसका अपना सम्बन्ध हो।
- कमिटी के अधिकार एवं कर्तव्यः– प्रबंधकारिणी कमिटी के नीचे लिखे कार्य होगेः–

1. सदस्यता और हिस्से की मंजूरी के लिए दी गई दरखास्तों पर विचार करना।

2. बुरे और ऋणी सदस्यों को हटाये जाने के प्रश्न पर विचार करना।
3. सदस्यों के इस्तीफे पर विचार करना।
4. कानून, नियमों और इन उप नियमों के अनुसार विगत सदस्यों की हिस्सा पूँजी को फिर से वापस करने पर विचार करना।
5. प्रत्येक सदस्य के हैसियत का विवरण तैयार करवाना और समय–समय पर उसे सत्यापित करना।
6. सदस्यों को दिये जानेवाले ऋण की सीमा निश्चित करना।
7. सब्जी की फसलों के खेतों को क्षेत्रफल निर्धारित करना, समिति द्वारा जिनके बेचे जाने का प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है, और फसलों के आधार पर सदस्यों से ऋण लेने की सीमा का निश्चय करना।
8. सदस्यों को सब्जी की फसलों को खोज–खबर लेना और उपज का अनुमान लगाना जिसे वे समिति के द्वारा बेचेंगे।
9. सदस्यों की सब्जी के पैदार का वर्गीकरण, खरीद, बोराबन्दी और यातायात का प्रबंध करना।
10. इन नियमों के अनुसार सदस्यों की पैदावार पर ऐडवान्स देना।
11. औजारों और मशीन को खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबंध करना और खाद, बीच ओर दूसरी चीजों की सप्लाई करना।
12. सब्जी की पैदावार को ठीक से इक्ट्ठा करने का प्रबंध करना और चतुथ व्यापारिक सूचना संघ स्थापित करना।
13. सदस्यों की पैदावार को बेचने के लिए उनसे ली जानेवाली कमीशन की दर और अन्य चीजों का आम सभा की राय से निश्चित करना।
14. समिति की तरफ से प्राप्त या चुकाये गये सभी रूपयों, स्टोरों, स्टॉक और जायदादों की प्राप्ति तथा उकनी खपत का प्रबंध।
15. सदस्यों से ऋण के लिए दरखास्त लेना और सदस्यों की उचित आवश्यकता जिनके लिए ऋण लिया जा सकता है, को देखते हुए उसे मंजूर करना।
16. समिति के कारोबार के सम्बंध में समिति या समिति के अफसरों के द्वारा या विरोध में लगाये सभी दावों या वैध कार्यवाहियों को कानूनी रूप देना, आगे बढ़ाना, सुलह करना या त्याग देना।
17. समिति द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने के लिए किस्त निश्चित करना।
18. वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, सस्पेन्ड करना, दण्ड देना या बर्खास्त करना।
19. को–ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के अफसरों, बैंक और संघ के इन्सपेक्शन और ऑडिट नोट्स पर विचार करना।
20. कैश बैलेन्स की सीमा का निश्चय करना।
21. प्रबंधकारिणी कमिटी के सभी सभाओं में कोषाध्यक्ष के पास रहने वाले कैश बैलेंस को मिलाना।
22. कारोबार संबंधी नियमों को बनाना।
23. साधारणतः समिति के कारोबार को करना।

- समिति के कारोबार में प्रबन्धकारिणी कमिटी साधारण व्यापारी की तरह दूरदर्शिता और तत्परता से काम लेगी। को–ऑपरेटिव सोसाइटिज ऐक्ट, उसके अन्तर्गत बने नियम और इन उप नियमों के विपरीत किये गये किसी भी कार्य के लिए जिससे नुकसान हो, कमिटी उत्तरदायी होगी।
- प्रबंधन्कारिणी कमिटी की सभाओं की कार्यवाही पुस्तिका में लिखे जायेगें और उसपर सभापति से लेकर सभा में उपस्थित कमिटी के सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। रूपये से सम्बन्ध रखनेवाले सभी कार्यो के प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में पड़नेवाले प्रत्येक सदस्य का मत लिखा जायेगा।
- सचिव का कर्तव्यः– सचिव का कर्तव्य निम्नलिखित होंगेः–

1. आम सभाओं और प्रबंधकारिणी सभाओं के लिए बुलावा भेजना।
2. कार्यवाहक पुस्तिका में इन सभाओं की कार्यवाही लिखना।
3. सदस्यों के उपर रहनेवाले बकायों का स्टेटमेन्ट प्रबंधकारिणी कमिटी के सामने रखना और उसे वसूल करने के लिए कदम बढ़ाना।

4. हिसाब–किताब की सभी बहियों को, जिनकी आवश्यकता उप नियम तथा रजिस्ट्रार के सर्कुलर के अनुसार है, ठीक और समय के अनुसार रखना और समिति के कारोबार के लिए आवश्यक सभी रसीदों, वाउचरों और दूसरे कागजात को तैयार करना।
5. कैशबुक पर हस्ताक्षर करा और यह देखना कि कैश वैलेंस प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निश्चित की गई सीमा से अधिक न हो।
6. 31 मार्च को रहने वाली, समिति की सम्पत्ति और लेन–देन का एक स्टेटमेन्ट तैयार करना और रजिस्ट्रार, को–आपरेटिव सोसाईटीव द्वारा प्रसारित कोई अन्य स्टेटमेन्ट या रिपोर्ट बनाना।

- प्रबंधक का कर्तव्यः–

1. प्रबंधक एवं पूर्णकालिक वेतनभोगी पदाधिकारी होगा। उनकी नियुक्ति तथा बर्खास्तगी का अधिकार प्रबंधकारिणी कमिटी को होगा।
2. प्रबंधक प्रबंधकारिणी कमिटी के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन प्रबंधक सौपे गए दायित्व का निर्वहन करेंगे।

- बिक्रीः– प्रबंधकारिणी कमिटी सदस्यों की सब्जी की पैदावार को नीये लिखे तरीकों से बेचने का प्रबंध कर करती है।

(क) आउटराईट परचेज सिस्टमः– इस तरीके के अन्दर समिति सदस्यों की सब्जी की पैदावार को गांवो में खरीद सकती है, इसकी सफाई वर्गीकरण और यातायात का प्रबंध कर सकती है और इसे अपनी जिम्मेदारी पर बेच सकती है। व्यक्तिगत सदस्य इस प्रकार के कारोबार में जो नफा या नुकसान होगा उसके भागी नहीं होगें।

(ख) कमीशन सेल सिस्टमः– इस तरीके के अन्दर सदस्यगण अपनी सब्जी की पैदावार को या तो अपने या समिति की गोदामों में जमा कर सकते हैं। समिति अपने पास माल का नमूना रखेगी और सदस्यों के आदेशानुसार उसे बेच देगी। माल का भाव घटने–बढ़ने से समिति का कोई ताल्लुक नहीं रहेगी और समिति सदस्यों से कमीशन और अन्य खर्च वसूल करेगी।

(ग) प्लैनिंग सिस्टम :– इस तरीके के अन्तर्गत सदस्यगण अपनी सब्जी की उपज समिति के गोदामों में रखेंगें और उसकी जमानत पर उन्हें कीमत के 75 (पिचहत्तर) फीसदी या किसी कम सीमा तक जैसा आम सभा निर्धारित करेगी, कर्जा मिल सकेगा। जो कर्ज पैदावार की जमानत पर दिये जायेंगे उनकी अदायगी सदस्यों को साधारणतः कर्ज देने की तारीख से 6 महीने के अन्दर करना होगी किन्तु विशेष हालातों में समिति अदायगी के लिए इससे अधिक समय दे सकती है अगर इस पैदावार की कीमत जिसे सदस्य ने रेहन रखी है, 10 (दस) प्रतिशत या इससे अधिक गिर जाय तो समिति सदस्य को कुल कर्ज वापस करने या अधिक जमानत देने के लिए बाध्य कर सकती है अगर सदस्य दन दोनों में से कोई भी बात न करे तो समिति को अधिकार होगा कि सदस्य को सूचना देकर रेहन रखी गई पैदावार बेच दें। ऐसी अवस्था में जो कीमत वसूल होगी उसमें से समिति कमीशन, गोदाम भाड़ा और कर्ज का रूपया सूद के साथ काट लेगी और जो शेष बचेगी वह सदस्य को लौटा दी जायेगी।

- खरीद और बिक्री केवल नकद होगी और गर सदस्य के हाथ भी हो सकती है।

- खाता बही और लेखा बहीः– समिति के द्वारा निम्नलिखित खाता बही और लेखा वही रखी जायेगीः–

(क) हिस्सा खरीदने वाले सदस्यों की खाता (ख) कार्यवाही पुस्तिका

(ग) कैश – बुक (घ) कर्जा–बही

(ड़) जमा – बही (च) सदस्यों की हैसियत –बही

(छ) रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर विहित की गई अन्य बही

- उन सभी कागजात पर जिनमें समिति पर लगाये गये चार्जों और प्रतिबन्धों का वर्णन रहेगा, अध्यक्ष और सचिव या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अध्यक्ष और सचिव या प्रबन्धकारिणी कमिटी के तीन सदस्य चेकों और पे ऑडरों पर हस्ताक्षर करने के लिए योग्य होगे।
- प्रतिवर्ष 31 मार्च को समिति का आर्थिक वर्ष खत्म होगा और शुद्ध लाभ जो ऑडिट के द्वारा प्रमाणित होगा, 35 (पैंतीस) प्रतिशत रिजर्व फंड तथा 10 (दस) प्रतिशत अशोध्य ऋण में देने के उपरांत जो बचेगा वह निम्नलिखित प्रकार से बांटा जायेगा।

(क) न्युनतम 10 (दस) प्रतिशत सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तान्तरित किया जाएगा।

(ख) लाभांश जो 9 (सवा नौ) प्रतिशत से अधिक ने होगा, हिस्सो के चुकाये मूल्य पर दिया जायेगा।

(ग) सदस्यों द्वारा समिति से लिये गये कर्ज पर सूद में समिति द्वारा खरीदे गये माल की कीमत में तथा समिति से या समिति द्वारा बेचे गये माल को कीमत पर दिये जानेवाली प्रीमियत में छूट की एक दर आम सभा द्वारा निर्धारित की जायेगी। छूट अथवा प्रीमियम जो घोषित किये जायेंगे तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेंगे जब तक कि उसके जिम्मे पहले का कुछ पावना बाकी हो। यह रकम बकाया में से काट दी जायेगी।

(घ) कार्मियों को बोनस, जो 1 (एक) महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।

(आम सभा के द्वारा सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी को मंजूर दिया गया पारिश्रमिक देना।)

(ड़) आम सभा के द्वारा सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी को मंजूर दिया गया पारिश्रमिक देना।

(च) अगर शेष बचेगा तो वह अगले वर्ष के लिए रख दिया जायेगा। हिस्सों पर लाभांश, रिबेट या प्रीमियम यदि 1(एक) वर्ष के भीतर समिति से नहीं ले लिए जाते हैं तो वे सदस्यों के खाता में जमा कर दिये जायेंगे।

- अंकेक्षणः—

(1) समिति अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के 6 (छः) माह के भीतर करायेगी इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमादित नामावली के अंकेक्षण द्वारा कराएगी।

(2) समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त अंकेक्षण अथवा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति की लेखाओं का अंकेक्षण उस वितीय वर्ष की समाप्ति के 6 (छः) माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वितीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(4) अंकेक्षण के पारिश्रमिक सहकारी समिति 5 के सामान्य निकाय द्वारा नियत किया जायेगा। परन्तु यदि अंकेक्षण फीस का भुगतान सहकारी समिति करेगी।

(5) सामान्य निकाय, उपसमिति सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी अंकेक्षक को पद से हटा सकेगा।

- सालाना विवरण :— समिति प्रत्येक वितिय वर्ष की समाप्ति के 6 (छः) माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणी दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल रहेंगे।

    (क) कार्यकलापों का वार्षिक रिर्पोट।

    (ख) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण

    (ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष के निपटारे की योजना।

    (घ) सहकारी समिति के उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची यदि कोई हों।

    (ङ) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन, यदि देय हो से संबंधित घोषणा।

    (च) कोई अन्य जानकारी जो निबंधक द्वारा अधिसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।

PVCS में राशि का प्रबंधन एवं लेखा संधारण

PVCS में राशि का हिसाब–किताब क्यों जरूरी है?

• PVCS (प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति) में राशि का लेन–देन होता है, इसलिए सही हिसाब रखना बहुत जरूरी है।

• यह इसलिए जरूरी है ताकि PVCS कानून के हिसाब से चले और किसी को कोई हानी न हो।

• जैसे आप घर का हिसाब रखते हैं, वैसे ही PVCS का भी हिसाब रखना जरूरी है।

सही हिसाब रखने के फायदेः

• **ईमानदारीः** हर काम ईमानदारी से होता है, और किसी सदस्य को कोई शक नहीं रहता।

•**विश्वासः** सदस्यों का च्टै६ पर भरोसा बना रहता है।

•**कानूनी रूप से सहीः** यह सुनिश्चित करता है कि च्टै६ सभी नियमों और कानूनों का पालन करे।

•**सही फैसलेः** पैसों से जुड़े सही फैसले लेने में मदद मिलती है, जैसे कि लोन देना, खरीदारी करना, आदि।

•**विकासः** च्टै६ को बेहतर तरीके से चलाने और बढ़ाने में मदद मिलती है।

PVCS में राशि का प्रबंधन कैसे करें?

व्यवसाय संचालन और अनुपालन की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न पुस्तकों की आवश्यकता होती हैः

1. वित्तीय अभिलेखः
    a. नकद पुस्तक (Cash Book)
    b. इन्वेंटरी मूवमेंट रजिस्टर एवं क्लोजिंग स्टॉक प्रबंधन
    c. स्थायी संपत्ति रजिस्टर और UC रजिस्टर
2. लेन–देन वाउचरः
    a. पूर्व–संख्या युक्त वाउचर (बिक्री, क्रय आदि)
    b. नकद भुगतान वाउचर (प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर सहित)
3. सदस्य एवं शेयर अभिलेखः
    a. सदस्य रजिस्टर
    b. शेयर प्रमाणपत्र रजिस्टर
4. अनुपालन एवं प्रशासनः
    a. बैठक की कार्यवृत्त पुस्तक (आम सभा बही)
    b. आयकर, जीएसटी आदि हेतु अभिलेखों का संधारण

लेखा पुस्तकों का महत्व

लेखा पुस्तकें किसी संस्था द्वारा किए गए लेन–देन का सार प्रस्तुत करती हैं एवं निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:

1. आय एवं व्यय पर निगरानी।
2. निधि उपयोगिता का स्पष्ट चित्रण।
3. वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने में सहायता।
4. PVCS की ग्रेडिंग में सुधार।
5. व्यवसाय की मात्रा पर निगरानी।
6. संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति।
7. बिक्री, क्रय, विज्ञापन व्यय आदि के लिए बजट निर्माण में सहयोग।
8. आयकर, जीएसटी और ऑडिटिंग के लिए आवश्यक अनुपालन।

• **फंड का सही इस्तेमाल**: PVCS के पैसों को सिर्फ PVCS के कामों में ही इस्तेमाल करें, जैसे समिति में भंडारण के लिए गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बनवाना, खेती के लिए बीज खरीदना, आदि।

• **रोकड़** (Cash Balance) **पर नजर**: यह देखना जरूरी है कि PVCS के पास कितना नगद राशि है, और यह हमेशा तय सीमा के अंदर ही होना चाहिए।

• लोन से जुड़े सारे रिकॉर्ड सही से रखें, जैसे किसको कितना लोन दिया गया है, और कितना लोन वापस आ गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग

• **नियमित रिपोर्ट**: हर महीने या हर तीन महीने में, PVCS की वित्तीय रिपोर्ट बनाएं, और सबको बताएं कि पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं।

• **सालाना रिपोर्ट**: साल के अंत में, PVCS की वार्षिक रिपोर्ट बनाएं, जिसमें पूरे साल का हिसाब–किताब हो।

• **सबको दिखाएं**: यह रिपोर्ट सभी सदस्यों को दिखाएं, और आम सभा में भी इसके बारे में चर्चा करें।

• **सरकार को भी रिपोर्ट**: सरकार को भी PVCS की वित्तीय रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें आय, व्यय और बाकी जानकारी शामिल होती है।

वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है?

- अगर PVCS का वित्तीय प्रबंधन सही नहीं होगा, तो यह ठीक से काम नहीं कर पाएगा।
- सही वित्तीय प्रबंधन से ही PVCS आगे बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा।
- इससे यह भी पता चलता है कि PVCS में सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है।

संक्षेप में, PVCS में पैसों का सही हिसाब–किताब रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सही पुस्तकें (registers) रखनी होंगी और सही रिपोर्ट बनानी होंगी। इससे PVCS अच्छे से चलेगी, सब कुछ साफ रहेगा, और हर सदस्य को भरोसा रहेगा। आपको भी PVCS के वित्तीय प्रबंधन में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियमों का पालन हो।

PVCS द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों के लिए सरल और प्रभावी फॉर्मेट/प्रपत्र निम्नवत् दिए जा रहे हैं। ये फॉर्मेट/प्रपत्र आसान होने के साथ–साथ सभी जरूरी जानकारियों को दर्ज करने में मदद करेंगे:

1. दैनिक रोकड़ बही (Daily Cash Book) फॉर्मेट/प्रपत्र

यह फॉर्मेट/प्रपत्र हर दिन के नकद लेन–देन को ट्रैक करने में मदद करता है।

Draft Specimen Format Cash Book									
Receipt					Payment				
Date	Particular	Folio No	Cash	Bank	Date	Particular	Folio No	Cash	Bank
4/1/2024	Bank Interest		-	1,000	4/1/2024	Ramkishan Payment against the Purchase of Vegitable - Invoice No -		50	400
	Total Receipt		-	1,000		Total Payment		50	400
	Opening Balance		100	500					
	Total Fund		**100**	**1,500**		**Closing Balance**		**50**	**1,100**
5/1/2024	Vendor Name Amount Received against sales. Invoice No- XYZ		5,000	-		Suman Payment against the Purchase of Vegitable - Invoice No-		4,000	-
	Total Receipt		**5,000**	**-**		**Total Payment**		**4,000**	**-**
	Opening Balance		50	1,100					
	Total Fund		**5,050**	**1,100**		**Closing Balance**		**1,050**	**1,100**

2- शेयर पूंजी पंजी (Share Capital Register) फॉर्मेट/प्रपत्र

यह प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए शेयर पूंजी का रिकॉर्ड रखता है।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता संख्या	खरीद की तिथि	शेयरों की संख्या	शेयर मूल्य (₹)	कुल भुगतान की गई राशि (₹)	शेयर प्रमाण पत्र संख्या
1			YYYY-MM-DD				
2			YYYY-MM-DD				
3			YYYY-MM-DD				

3. सामाग्री आवागमन पंजी

Page No.

Inventory Movement Register

PVC/ Hub Name:

Vegetable Name:

Date	Name of Farmer / Name of Vendors	Rate (Rs.)	Opening Sotck (Qty.)	Opening Stock (Value) Rs.	Purchase (Qty.)	Purchase (Value) Rs.	Sales (Qty.)	Sale (Value) Rs.	Damage (Qty.)	Damage (Value) Rs.	Closing Stock (Qty.)	Closin (Value) s.

4. अचल संपत्ति पंजी

Bihar State Vegetable Processing and Marketing Corporative Federation Limited

Annexure-5

Draft Specimen Format Fixed Assest Register

Sl No	Name of Assets	Identification No.	Purchase Date	Value	Location
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

1. क्रय रसीद

PURCHASE VOUCHER (क्रय रसीद)

भगवानपुर प्रखण्ड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०

Bhagwanpur Block Primary Vegetable Growers Co-operative Society Ltd.

Vill. - Akhtiyarpur Patedha, PS+PS- Sarai, Block- Bhagwanpur, Dist.- Vaishali, Pin Code- 844125

Bill No. 00001/P/2024-25 **Date:**

Name of the Farmer:

Vegetable Name	Qty (Kgs)	Rate (Kgs)	Amount
Total			

Prepared by: **Checked by:**

5. विक्रय रसीद

SALE VOUCHER (विक्रय रसीद)

भगवानपुर प्रखण्ड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०

Bhagwanpur Block Primary Vegetable Growers Co-operative Society Ltd.

Vill. - Akhtiyarpur Patedha, PS+PS- Sarai, Block- Bhagwanpur, Dist.- Vaishali, Pin Code- 844125

Bill No. 00001/S/2024-25 **Date:**

Name of the Farmer:

Vegetable Name	Qty (Kgs)	Rate (Kgs)	Amount (Rs.)
Total			

Prepared by: **Checked by:**

6. नकद भुगतान रसीद

CASH PAYMENT/ DEBIT VOUCHER

भगवानपुर प्रखण्ड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०

Bhagwanpur Block Primary Vegetable Growers Co-operative Society Ltd.

Vill. - Akhtiyarpur Patedha, PS+PS- Sarai, Block- Bhagwanpur, Dist.- Vaishali, Pin Code- 844125

Bill No. 00001/2024-25 **Date:**

Name of Expense	Amount (Rs.)
Total	

Prepared by: **Checked by:**

7. प्राप्ति रसीद

CASH RECEIPT/ CREDIT VOUCHER

भगवानपुर प्रखण्ड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०

Bhagwanpur Block Primary Vegetable Growers Co-operative Society Ltd.

Vill. - Akhtiyarpur Patedha, PS+PS- Sarai, Block- Bhagwanpur, Dist.- Vaishali, Pin Code- 844125

Bill No. 00001/2024-25

Date:

Nature of Receipt	Amount (Rs.)
Total	

Prepared by: **Checked by:**

8- **सदस्यों की हैसियत बही (Member Status Register)**

क्र.सं.	सदस्यता संख्या	सदस्य का नाम	पता	मोबाइल नंबर	शेयर संख्या	कुल बकाया राशि	टिप्पणी
1							
2							
3							

वेजफेड की वर्तमान योजनाएँ और कार्यक्रम

(वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26)

वेजफेड की मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम (वित्तीय वर्ष 2024–25):

1. बुनियादी ढाँचा विकास (Infrastructure Development): प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) को बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान करना, जिससे वे अपनी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकें।
   a. **उपलब्धियाँ:**
      i. 51 PVCS को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चुना गया।
      ii. 9 PVCS में बुनियादी ढांचे का काम पूरा हो चुका है।
      iii. कई PVCS में बुनियादी ढांचे का काम चल रहा है।
      iv. 26 नए PVCS में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि उपलब्ध है एवं इनमे बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
      v. प्रत्येक चयनित PVCS को निर्माण कार्य हेतु 1.14 करोड़ उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. **मानव संसाधन (Human Resources) की नियुक्ति:** PVCS, सब्जी संघों और वेजफेड में काम करने के लिए योग्य लोगों को उपलब्ध कराने हेतु वेजफेड द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। PVCS, सब्जी संघों और वेजफेड के लिए मानव संसाधन प्रदान करने के लिए 14.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए निविदाएं प्रकाशित की गई हैं।
3. PVCS में लेखा प्रणाली (Accounting System) सुदृढ़ीकरण: PVCS, सब्जी संघों और वेजफेड में लेखा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2-49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 6 अकाउंटेंट (सीए) को सभी संघों में भेजा गया है और 20 अकाउंटेंट को सभी 20 जिलों में PVCS की लेखा प्रणाली को शशक्त करने हेतु भेजा गया है।
4. आलू और टमाटर बीज वितरण की योजना ।इस योजना अंतर्गत :
      i. 1480 एकड़ में आलू और 1480 एकड़ में टमाटर की खेती को बढ़ावा दिया गया है।
      ii. 7.79 लाख किलोग्राम आलू के बीज 70 PVCS को दिए जा चुके हैं।

iii. 4.68 लाख टमाटर के पौधे 19 PVCS को दिए जा चुके हैं।

वेजफेड के भावी कार्यक्रम (वित्तीय वर्ष 2025–26):

1. **विस्तार (Expansion):**

योजना को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा।

2. **नई सहकारी समितियाँ (New Cooperative Societies):**

मौजूदा ब्लॉक–स्तरीय समितियों के अलावा, जिलों के बाकी सभी ब्लॉकों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।

3. **सदस्यता अभियान (Membership Drive):**

योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक किसानों को समितियों का सदस्य बनाया जाएगा।

4. **बुनियादी ढाँचा विकास (Infrastructure Development):** सभी ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इस हेतु सभी PVCS को बुनियादी उपकरण यथा माप–तौल हेतु तराजु लेनो गनी बैग, क्रेट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे

5. **हब निर्माण (Hub Construction):** वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला स्तर पर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हब बनाए जाएंगे।

6. **प्याज़ भंडारण की योजना** : प्रथम चरण में राज्य के 68 "A" ग्रेड पीवीएस में प्याज भंडारण गोदाम बनवाए जाएंगे जिससे प्याज उत्पादक किसान को नियुत्तम दर पर प्याज़ भंडारण की सुविधा दी जा सके।

7. सुधा दूध बूथ की तर्ज़ पर PVCS द्वारा संचालित वेजफेड तरकारी बूथ की योजना विकसित की जाएगी एवं विपण के नए आयाम तलाशे जायेंगे।

योजनाओं में PVCS अध्यक्ष और प्रबंधक की भूमिका:

- किसानों को सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना।
- किसानों को योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- प्रगति की निगरानी करना

बेहतर तरीके, क्षमता निर्माण, विविधता और समावेश

मुख्य बातें:

• **ईमानदारी (Integrity)**: PVCS में हर काम ईमानदारी से होना चाहिए। किसी के साथ कोई धोखा या बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सभी सदस्य ईमानदार रहें और च्टै के साथ कोई भी गलत काम न करें।

• **जवाबदेही (Accountability)**: PVCS में हर व्यक्ति को अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यह जरूरी है कि हर सदस्य अपने कार्यों के लिए जवाबदेह रहे।

• पारदर्शिता (Transparency): PVCS के सभी काम खुले और पारदर्शी होने चाहिए। हर सदस्य को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं जानी चाहिए, ताकि सभी सदस्य विश्वास के साथ काम कर सकें।

• सबका साथ (Open Communication and Participation): PVCS में सभी सदस्यों को मिलकर काम करना चाहिए। एक–दूसरे की मदद करनी चाहिए, सबके विचारों को सुनना चाहिए और सभी सदस्यों को च्टै के कामकाज में शामिल होना चाहिए। सबकी राय और सुझावों को महत्व देना चाहिए।

• सशक्तिकरण (Member Empowerment and Support): PVCS को अपने सदस्यों को मजबूत बनाना चाहिए। उन्हें नए कौशल सीखने में मदद करनी चाहिए, उन्हें आत्मविश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपनी और अपने समुदाय की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। सदस्यों को च्टै के लाभों से अवगत कराना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए।

• सीखते रहना (Regular Training and Skill Development): PVCS के सभी सदस्यों और कर्मचारियों को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें नई तकनीक सीखनी चाहिए, नए तरीके सीखने चाहिए और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

• नियमों का पालन (Adherence to Laws and Regulations): PVCS को सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। अगर कोई नियम या कानून है तो उसे हमेशा मानना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कानूनी और वित्तीय नियम पूरे किए जा रहे हैं।

• विविधता और समावेश (क्पअमतेपजल ंदक प्दबसनेपवद): च्टै को हर सदस्य को समान रूप से महत्व देना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। च्टै में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी सदस्यों को च्टै के काम में शामिल होने का समान अवसर मिलना चाहिए।

<u>क्षमता निमाण</u>

वेजफेड क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका मकसद सदस्यों को और बेहतर बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, सदस्यों को नए कौशल और तकनीक सीखने में मदद मिलेगी, जिससे वे च्टै को अधिक प्रभावी ढंग से चला सकेंगे।

<u>जानकारी का आदान–प्रदान</u>

बाजार में क्या चल रहा है, नई तकनीक क्या है, और सरकार की योजनाएं क्या हैं, इन सब की जानकारी रखना जरूरी है। सभी सदस्यों को समय–समय पर इन जानकारियों से
अवगत कराना चाहिए, ताकि वे बेहतर निर्णय ले सकें और PVCS को आगे बढ़ा सकें।

<u>यह सब क्यों जरूरी है ?</u>

• PVCS को सफल बनाने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

• जब PVCS बेहतर तरीके से काम करेगी, तो किसानों को और भी ज्यादा फायदा होगा।

• जब हम सीखते रहेंगे और अपनी क्षमता बढ़ाते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। विविधता और समावेश को अपनाने से, PVCS अधिक मजबूत और न्यायपूर्ण बनेगा।

संक्षेप में, PVCS में ईमानदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, सबके साथ मिलकर काम करना, सशक्तिकरण, सीखने की तत्परता, नियमों का पालन करना, विविधता और समावेश दृ ये सभी बहुत जरूरी हैं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपनी क्षमता बढ़ाते रहनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सदस्य को समान अवसर मिले। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम च्टै को और भी बेहतर बना पाएंगे और सभी किसानों को लाभान्वित कर पाएंगे।

VegFed महासंघ – मौजूदा विपणन अवसर

वर्तमान में विभिन्न संगठनों/समितियों द्वारा कई संस्थानों को सब्जी की आपूर्ति की जा रही है।

Sr. No	संघ/PVCS	खरीदारों
1	तिरहुत सब्जी महासंघ	नवोदय विद्यालय, पिपराकोठी, सत्याग्रह जीविका, बरियारपुर
2	हरित सब्जी महासंघ	दीदी की रसोई-विकास भवन, पुराना सचिवालय – कैंटीन, रुबन अस्पताल कैंटीन, बुद्धा रिसॉर्ट एम्स पटना, देसी बंगला एम्स पटना कैंटीन
3	PVCS कुचायकोट (गोपालगंज)	नवोदय विद्यालय (कैंटीन)
4	PVCS पिपरा (सुपौल)	इंजीनियरिंग कॉलेज (कैंटीन)

बाजार संपर्क – विभिन्न चरण

1. पिछड़ा संपर्क (Backward Linkage)

- मुख्य रूप से खरीद और इसे प्रसंस्करण केंद्र तक लाने के लिए जिम्मेदार
- दिशानिर्देश बनाना, संग्रह केंद्र, उत्पाद की आवाजाही, प्रशिक्षण आदि जैसी गतिविधियाँ।

2. प्रसंस्करण केंद्र (Processing)

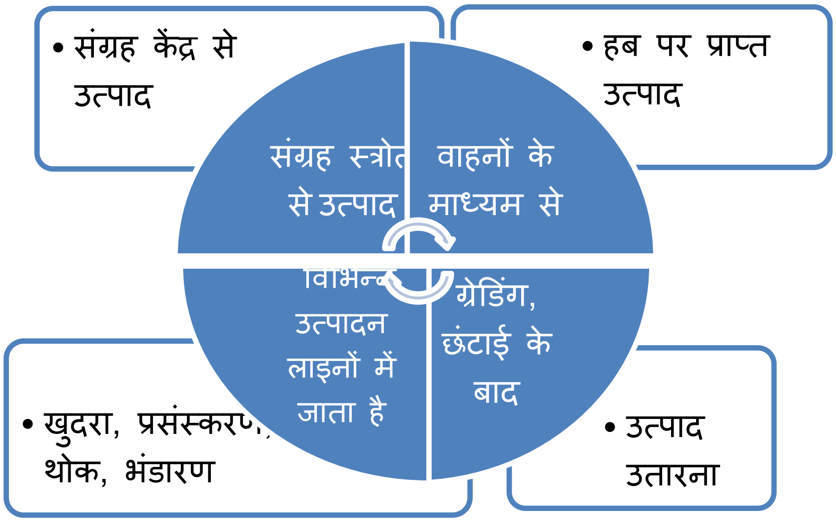

3. आगे का संपर्क (Forward Linkage)

- खुदरा विक्रेता (मंडी, हाट आदि)
- प्रसंस्करणकर्ता (औद्योगिक इकाइयाँ, कैंटीन आदि)
- निर्यातक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)

बाजार संपर्क का जाल – पारंपरिक बनाम सामूहिक आधुनिक दृष्टिकोण

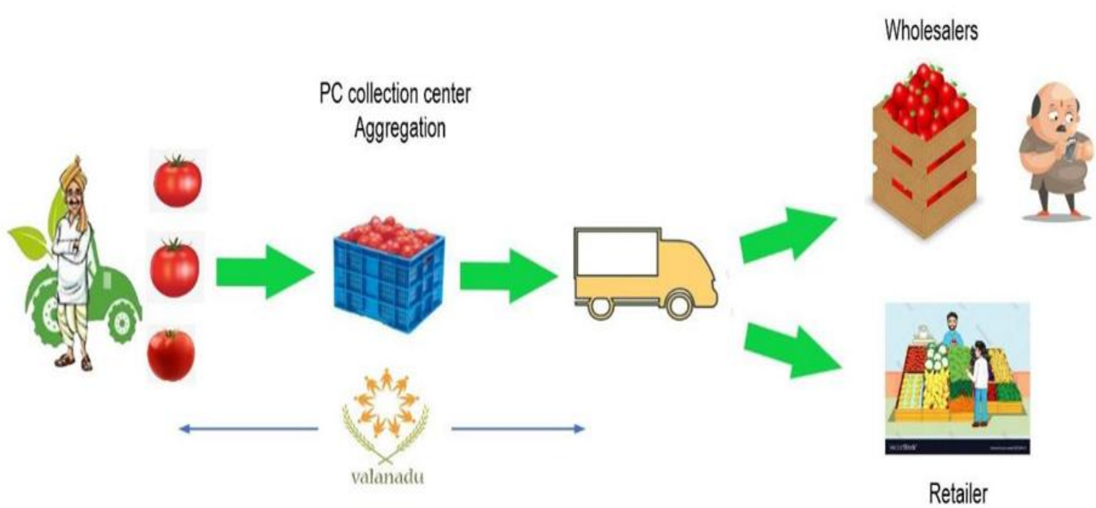

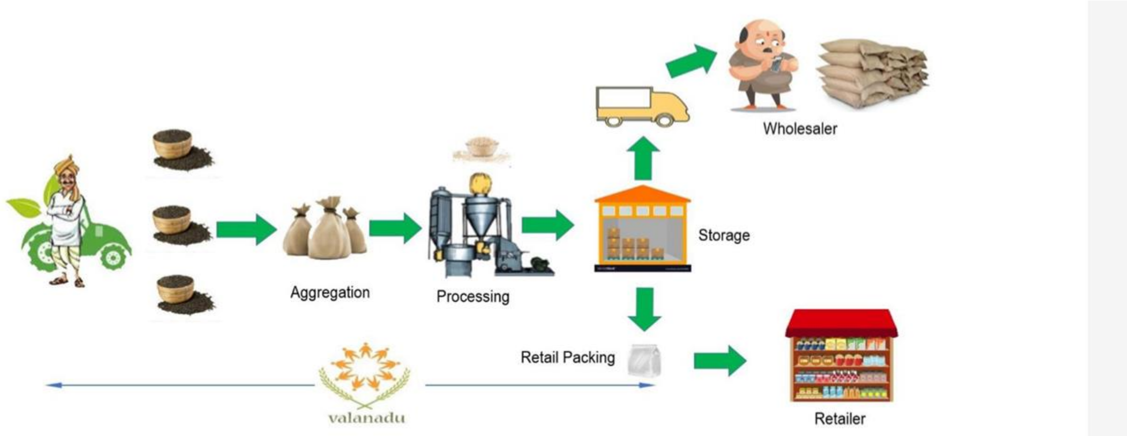

उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुँचाने में विभिन्न अभिनेता अपनी भूमिका निभा रहे हैं

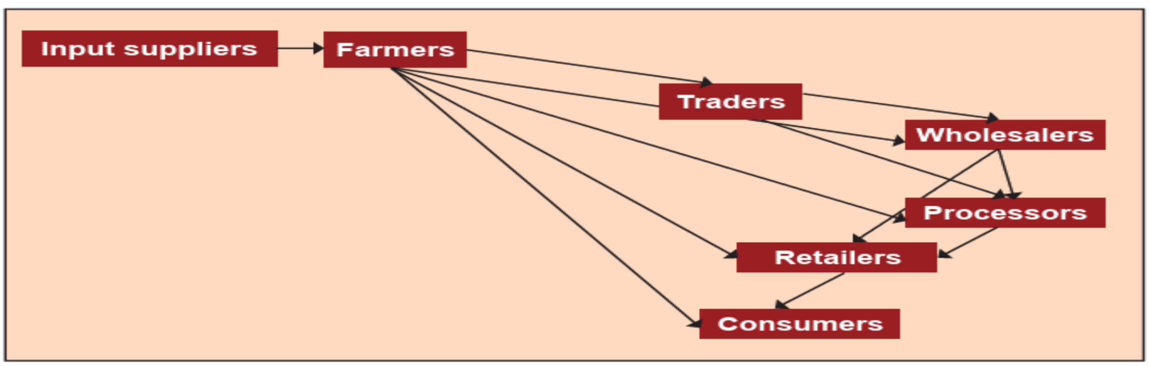

<u>सब्जी बाजार दरें</u>

किसानों के लिए दैनिक सब्जी दरों का महत्व

1. **सूचित निर्णय लेना**

- **बेचने का उचित समय:** दैनिक बाज़ार दरों को जानने से किसानों को अपने उत्पाद को बेचने का सबसे अच्छा समय तय करने में मदद मिलती है ताकि वे अधिकतम लाभ कमा सकें।
- **बाजार का चयन:** किसान मौजूदा दरों के आधार पर अपनी सब्ज़ियाँ बेचने के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाले बाज़ार चुन सकते हैं।

2. मूल्य स्थिरता

- **बाजार विनियमन:** सब्जियों की कीमतों पर नियमित अपडेट कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे कीमतों में अचानक वृद्धि या गिरावट को रोका जा सकता है।

- **आपूर्ति और मांग संतुलन:** सटीक मूल्य निर्धारण जानकारी आपूर्ति और मांग को संतुलित करने, बर्बादी को कम करने और सब्जियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करती है।

किसानों के लिए दैनिक सब्जी दरों का महत्व

1. **सूचित निर्णय लेना**

- **बेचने का उचित समय:** दैनिक बाज़ार दरों को जानने से किसानों को अपने उत्पाद को बेचने का सबसे अच्छा समय तय करने में मदद मिलती है ताकि वे अधिकतम लाभ कमा सकें।
- **बाजार का चयन:** किसान मौजूदा दरों के आधार पर अपनी सब्ज़ियाँ बेचने के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाले बाज़ार चुन सकते हैं।

2. मूल्य स्थिरता

- **बाजार विनियमन:** सब्जियों की कीमतों पर नियमित अपडेट कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे कीमतों में अचानक वृद्धि या गिरावट को रोका जा सकता है।

- **आपूर्ति और मांग संतुलन:** सटीक मूल्य निर्धारण जानकारी आपूर्ति और मांग को संतुलित करने, बर्बादी को कम करने और सब्जियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करती है।

ऑनलाइन मार्केट रेट कैसे प्राप्त करें

➢ **रेट चेक करने के चरण**

1. **वेबसाइट पर जाएँ:** वेबसाइट तक पहुँचने के लिए दिए गए लिंक का उपयोग करें।

2. अपना स्थान चुनें: स्थानीय दरें प्राप्त करने के लिए बिहार या अपना विशिष्ट जिला चुनें।

3. दरें देखें: विभिन्न सब्जियों के लिए नवीनतम दरें देखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको सर्वोत्तम बाज़ार मूल्य मिलें।

➢ **मार्केट रेट चेक करने के लिए वेबसाइट**

1. **सब्जी बाज़ार मूल्य : Vegetable Market Price**

सब्जी बाज़ार मूल्य बिहार के विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न सब्जियों के लिए दैनिक अद्यतन दरें प्रदान करता है।

2. मुज़फ़्फ़रपुर सब्जी मूल्य: **Muzaffarpur Vegetable**

मुज़फ़्फ़रपुर सब्जी मुज़फ़्फ़रपुर में सब्जी बाज़ार के लिए नवीनतम दरें प्रदान करता है

किसानों के लिए डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन संसाधन

1. **डिजिटल भुगतान के तरीक**

- **मोबाइल वॉलेट:** त्वरित और सुरक्षित लेनदेन के लिए पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे ऐप का उपयोग करें।
- **ऑनलाइन बैंकिंग:** आसान फंड ट्रांसफर और भुगतान के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचें।
- **UPI(यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस):** BHIM जैसे ऐप का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI का उपयोग करें।

2. डिजिटल भुगतान के लाभ

- **सुविधा:** नकदी की आवश्यकता के बिना कहीं भी, कभी भी लेनदेन करें।
- **सुरक्षा:** सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के साथ चोरी और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करें।
- **रिकॉर्ड कीपिंग:** बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए सभी लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें।
- **3. किसानों के लिए ऑनलाइन संसाधन**
- **सरकारी पोर्टल:** PM-Kisan, mkisan और AgriMarket जैसी वेबसाइटों के माध्यम से सब्सिडी, ऋण और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- **कृषि ऐप:** मौसम अपडेट, बाजार की कीमतों और विशेषज्ञ सलाह के लिए Kisan Suvidha और IFFCO Kisan जैसे ऐप का उपयोग करें।
- **ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म:** BigHaat और DeHaat जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचें

गर्म मौसम में सब्जियों की वैज्ञानिक खेती

भारतीय कृषि में सब्जियाँ अपने उत्पादन, उत्पादकता और विभिन्न प्रकार के उपयोग व औषधीय गुणों की वजह से एक विशिष्ठ स्थान रखती है। हमारे देश में 61.00 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है जिससे लगभग 90 हजार लाख टन उत्पादन होता है। बिहार राज्य में सब्जियों की खेती लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है तथा उसका उत्पादन लगभग 80 लाख टन होता है। और उत्पादकता 13.09 टन प्रति हेक्टेयर है।

गर्मी मौसम में प्रमुख रूप से भिन्डी, बैगन, हरी मिर्च तथा कददू वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रमुख रूप से कद्दू, कदिमा, नेनुआ, झिगुनी, खीरा, ककड़ी और करैला आती है। उपरोक्त सब्जियों की खेती पानी लगने वाले स्थान को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इन सब्जियों की खेती के लिये अच्छी मात्रा में खाद, उर्वरक व अच्छे गुणवक्ता वाली प्रभेदों की आवश्यकता होती है।

भिन्डी की अच्छी पैदावार के लिये उन्नत प्रभेद

परभनी क्रान्ति, अरका अभय, अरका अनामिका, पूसा ए0–4, तथा पंजाव पधमिनी। इसके कृषि में लगभग 150 क्विंटल अच्छी सड़ी कम्पोस्ट की खाद, 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन यानि लगभग 4 वोरा यूरिया, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस यानि 3 बोरा सिंगल फास्फेट तथा 50 से 60 किलोग्राम पोटास यानि 1 बोरा म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी बुआई जनवरी माह के अन्त से अगस्त माह के अन्त तक की जा सकती है। जिसको जनवरी–फरवरी में 30 ग 20 से.मी., मार्च–अप्रैल में 45 ग 30 से.मी. तथा जुलाई–अगस्त में 50 ग 45 से.मी. की दूरी पर बुआई करनी चाहिये। जिसमें लगभग 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बीज की बुआई से पहले पानी में भिगोकर फूला लेना चाहिए। और समय समय पर पौधों की सिंचाई, निराई–गुराई करते रहना चाहिये। इस प्रकार से भिन्डी की अच्छी फसल से लगभग 150–200 क्विंटल उपज प्राप्त होती है।

बैगन की अच्छी पैदावार हेतु उन्नत प्रभेद

पूसा परपूल लौग, राजेन्द्र बैगन–2, अरका भी, पंत सम्राट, पूसा भैरव, पूसा हाईब्रिड–5 और पूसा हाईब्रिड–6 व अन्य प्रभेद। बैगन की फसल में 100–120 कि.ग्राम नत्रजन यानि 4 बैग यूरिया, 40–50 कि.ग्राम फास्फोरस यानि 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 50–60 किलोग्राम पोटाश यानि। बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। तथा साथ ही साथ 100 किलोग्राम नीम की खल्ली व 150 क्विंटल अच्छी सड़ी कम्पोस्ट की खाद की भी आवश्यकता

होती है। बैगन के पौधों की रोपाई जनवरी से मार्च माह मे ˙75 ग 60 से.मी. पर तथा सितम्बर से नवम्बर तक 60 ग 45 से.मी. पर करते है। विचड़ा की रोपाई करते समय 2 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति ली0 पानी में घोल बनाकर उसमें विचड़े की जड़ को डुवो कर लगाने से

रोगों से बचाव होता है। बैगन के एक हेक्टेयर भूमि की रोपाई हेतु 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बैगन की सामान्य प्रभेद से प्रति हेक्टेयर 200–250 क्विंटल तथा हाईब्रीड प्रभेद से 500–600 क्विंटल फल का उत्पादन होता है।

गर्मा मौसम में हरी मिर्च की अच्छी खेती की जा सकती है। इसके उन्नत प्रभेद है। एन.पी. 46 ए., पूसा ज्वाला, आध्रज्योती पूसा सदावहार जनवरी–मार्च माह में 45 ग 50 से.मी. तथा अगस्त से सितम्बर में 30 ग 30 से.मी. पर रोपायी की जाती है। जिसके नर्सरी हेतु लगभग 1.0 से 1. 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता है। खेत में अच्छी प्रकार से सड़ी हुयी कम्पोस्ट की खाद लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिये। तथा उर्वरक का व्यवहार भिन्डी की खेती की तरह करते है। उक्त सभी फसलों मे उर्वरकों में नेत्रजन यानि यूरिया की पूरी मात्रा बुआई या रोपाई के 30 दिनों बाद खड़ी फसल में 20–25 दिनों के अन्तराल पर 3 से 4 दिनों वार में देनी चाहिये। तथा फलो की तोड़ाई समय से करनी चाहिये इससे उत्पादन अच्छा होता है। इस फसल से 150 से 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी मिर्च की उपज होगी है।

कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई–गर्मा हेतु जनवरी से मार्च माह में तथा वरसात हेतु जून से जुलाई माह में करते है। इसकी फसल के लिये समतल भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस लत्तर वाली सब्जियों को मचान या ढ़ाव पर लगाने से अच्छी उपज मिलती है। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती जमीन पर भी अच्छी तरह से की जा सकती है। कद्दू की उन्नत प्रभेद है। पूसा समर प्रोलिफिक लौग, पूसा–नवीन, पूसा मेजदूत, पूसा मंजरी व अन्य स्थानीय आदि। नेनुआ की प्रमुख उन्नत प्रभेद है। पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया तथा राजेन्द्र नेनुआ–1।

कदिमा की उन्नत प्रभेद– अरका चन्दन, पूसा हाईब्रिड–1। करैला की प्रभेद है। पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष, प्रिया व कोयमबटूर लौग।

खीरा की उन्नत प्रभेद है। जावानी लौंग ग्रीन, स्ट्रेट ऐट, पूसा संयोग तथा स्वर्ण पुर्णा आदि।

कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई हेतु विभिन्न फसलों में लगभग 3.5 कि.ग्राम से लेकर 4.5 कि. ग्राम बीज प्रति हेक्टयर की आवश्यकता होती है। इसको लगाने के लिये गर्मियों मे 1.5 मी0 कतारस कतार तथा 1.0 मी0 पौधा से पौधा की दूरी पर 30–45 से.मी. चौड़ी नाली बनाकर लगाते है। बुआई से पूर्व निश्चित दूरी पर 1 ग 1 फीट का गदा बनाकर उसमें आधी टोकरी

अच्छी सड़ी कम्पोस्ट की खाद तथा 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्पोस्ट की खाद तथा 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का मिश्रण बनाकर प्रति

गदा डालते है। तथा सिंचाई के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से गुणाई कर लेते है। गर्मियों में नाली में तथा बरसात में नाली के उपर बने गडढ़ों में 3 से 4 बीजो की बुआई करते है।

जब पौधों में फूल व फल देना प्रारम्भ होता है तो उस सयम नर फूल अधिक निकलते है। जिसकों नियंत्रीत करने हेतु 200 पी.पी.एम. इथरेल का व्यवहार करने से मादा फूल निकलना आरम्भ हो जाता है। यदि यह सम्भव नहीं हो तो प्रत्येक पौधों की 3 से 4 लत्तरों की फूँनगी काट दें। इस क्रिया से भी मादा फूल निकलने लगता है। तथा फलन आरम्भ हो जाता है। गर्मा मौसम में सिंचाई प्रत्येक 4–5 दिनों पर करनी चाहिये। यह सिंचाई सुबह या शाम के वक्त करनी चाहिये। तथा खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिये। अच्छी उत्पादन हेतु उसे 4 दिनों पर सब्जियों ंकी तोड़ाई करनी चाहिये। सब्जियों की तोड़ाई के बाद ही कीट नाशक दवा आदि का व्यवहार करना चाहिये। इस प्रकार से कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेर की उपज प्राप्त की जा सकती है।

रबी मौसम में सब्जियों की खेती

रबी मौसम की सब्जियाँ वे सभी है जिन्हें हम जाड़े के मौसम में उगाते है। इस श्रेणी में दोनों तरह की फसले है। (क) जिन्हें हम सीधे खेत में बीज बोकर उगाते है। (ख) जिन्हें लगाने के लिए पहले बिचड़ा तैयार करते हैं। पहली श्रेणी में प्रमुख है मटर, मूली गाजर, पालक एवं बोदी आदि दूसरी श्रेणी की प्रमुख सब्जियाँ फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू, आदि प्रमुख है। उक्त फसलों की उन्नत खेती हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिएः–

1. सब्जी फसलें नकदी फसले है इनकी खेती हेतु मिट्टी का परीक्षण कराने से सही मात्रा की खाद एवं उर्वरक प्रयोग में आसानी होती है।
2. बीज का अकेले ही फसलोत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः सही किस्म का बीज राष्ट्रीय बीज निगम, बिहार बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय या रजिस्टर्ड बीज विक्रेता से बीज खरीदता चाहिए।
3. संतुलित उर्वरक प्रयोग करना चाहिए।
4. बीज शोधित कर खेत में या नर्सरी (बीजस्थली) में बोना चाहिए।
5. सिंचाई जब भी जरूरी हो करें विशेष सुविधा न रहने की स्थिति में पौधा प्रतिरोपित करने के बाद। फसल अच्छी तरह जम जाने के बाद शाखाये फूटते वक्त, फूल–फलन के पहले तथा फल बढ़ने या बीज बनने के वक्त सिंचाई जरूर करें।
6. फसल कतार में लगायें।
7. फसल खरपतवार से मुक्त रखें तथा कीट एवं व्याधि से बचाव हेतू व्यवस्था करें दूसरे अधिक उत्पादक के साथ–साथ उत्पाद अच्छी श्रेणी का होने से बाजार भाव अच्छा मिलता है।
8. क्षेत्रीय माँग एवं बाजार व्यवस्था को देखते हुए ही सब्जी उत्पादन की योजना बनानी चाहिए।
9. पौधा प्रतिरोपण का कार्य शाम दोपहर बाद करना चाहिए इससे पौधे तेजधूप के चलते कम मरते है।
10. फल तैयार होने पर बिना देरी के तोड़ना चाहिए इससे फसल अधिक होता है।
11. फल तुड़ाई/कटाई के बाद ही रोग एंव कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए।
12. बाजार भेजने के पहले सब्जी फल को श्रेणी का वर्गीकृत (ग्रेडिंग) कर फिर बाजार भेजने से भी अधिक शुद्ध लाभ कमा सकते है।

सामान्यतया सब्जियों की खेती हेतु बलुअर दोमट मिट्टी जिसमें पानी निकास की सुविधा हो अच्छी होती है परन्तु भारी मिट्टी में भी समुचित पानी निकास की व्यवस्था होने से तथा खाद आदि के प्रयोग से अच्छी फसल ली जा सकती है। खेत की उर्वरता अच्छी होनी चाहिए। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर फिर पाटा देकर कल्टीवेटर से जुताई कर खेत तैयार करना चाहिए खाद अन्तिम जुताई के

पहले खेत में फैलकर फिर जुताई करें, परन्तु उर्वरक हमेश नालियाँ एवं क्यारी बनाने के बाद ही क्यारी में मिलावे/उर्वरकों मे ंआधा नेत्रजन, पूरा स्फुर एवं पूरा पोटाश फसल लगाने/बोने के पहले खेत मे ंदेदें तथा शेष बचा आधा नेत्रजन फसल लगाने के डेढ़ से दो माह बाद उपरिवेशन के रूप में देवें।

फसल	**उन्नत किस्में**	**बीज दर/हेक्टेयर**	**लगान का समय एवं दूरी**	**खाद एवं उर्वरक ने.ःस्फूरःपोटाश/हे.**	**औसत उपज क्विं/हे**
टमाटर	पूसा रबी, स्वीट–72, अर्का सौरभ, एच.एस. 101 पंजाब छुहारा, वैशाली, रूपाली एवं पूसा अर्ली डवार्फ	600–700 ग्राम संकर किस्में 300–400 ग्राम	अगस्त से अक्टूबर 45 ग 45 से.मी. संकर किस्में 75 ग 45 सें.मी.	कम्पोस्ट 200 क्विंटल नेत्रजन 150ः60ः60	250–300 कि. संकर किस्में 700–800 क्विंटल
टालू	कुफरी चन्द्रमुखी, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, आलू 1,2 एवं 3 कुफरी अशोका एवं कुफरी बादशाह	राजेन्द्र 20 से 25 क्विं/हैक्टर	अक्टूबर–नवम्बर 50 ग 15 से.मी. या 60 ग 20 से.मी.	200ः150ः90ः100	250 से 400 क्विंटल
फूलगोभी	अर्ली कुआरी, पंतशुभ्रा, पूसा सिन्थेटिक, स्नोवाल के–1 एवं स्नोवाल–16	600–700 ग्राम	जुलाई से नवम्बर 45 ग 45 से.मी. या 60 ग 60 से.मी.	200ः150ः60ः60	100–125 एवं 200–300 क्विंटल
बंदगोभी	प्राइड आफ इडिया, पूसा ड्रम हेड, एवं गोल्डेन एकर	600–700 ग्राम	नवम्बर 60 ग 45 से.मी. या 60 ग 60 से.मी.	200ः120ः60ः60	150–250 क्विंटल
मटर	अर्केल, बोनविले, हरभजन, जवाहर मटर एवं जी.सी.	14140–45 कि. ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 30 ग 10 से.मी.	150ः30–40ः60ः40	75–100 क्विंटल
म्ूली	पूसा चेतकी, पूसा हिमानी एवं रश्मी	800–10 कि.ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 25 ग 100 से.मी.	100ः60ः40ः40	300–200 क्विंटल
गाजर	पूसा केशर, नैनटेस एवं चौटनी, पूसा मेधाली एवं यमदाग्नी	1.25 से 1.50 कि.ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 30 ग 10 से.मी.	100ः60ः40ः40	150–200 क्विंटल
पलक	पूसा ज्योति एवं आलग्रीन, जोवनेर ग्रीन	6–8 कि.ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 30 ग 10 से.मी.	125ः80ः40ः40	100–200 क्विंटल
मेथी	देशी मेथी, चम्पा या कसूरी, प्रभा, पूसा अर्ली वाचिंग एवं राजेन्द स्वाती	20–25 कि.ग्रा. कस्तूरी 10–15 कि.ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 30 ग 10 से.मी.	150ः30ः60ः40	80–100
फ्रेंचंवीन	केन्टुकी वाडंर, पूसा हिमलता, पूसा पार्वती एवं अवर्ग कोमल	75–80 कि.ग्रा.	अक्टूबर–नवम्बर 60 ग 60 से.मी. झाड़ीगमा किस्म पोल्डस ग टाईप 100 ग 100 से.मी.	150ः75ः60ः40	15–20 क्विंटल
उपरोक्त दर्शाये गये सुझाावों एवं तरीकों को अपना कर यदि कृषक भाई रबी सब्जियों की खेती करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक से अधिक शुद्ध लाभ कमा सकते है।					

लत्तरवाली सब्जियों की वैज्ञानिक खेती

शाक : सब्जियाँ हमारे दैनिक भोजन व आहार के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे प्रतिदिन के भोजन में सब्जियों की विशेष अहमियत इसलिए है कि सब्जियों से हमें कार्बोज, प्रोटीन, लवण, विटामिन तथा खाद्य–रेशे प्राप्त होते हैं। सब्जियाँ हमें स्वस्थ शरीर, मजबूत दाँत और लम्बी उम्र प्रदान करती हैं। शाक्–सब्जियाँ न केवल हमारे भोजन को पौष्टिक, स्वादिष्ट तथा रूचिकर बनाती हैं बल्कि हमें सम्पूर्ण जीवन शक्ति प्रदान करती हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं सुडौल बना रहता हैं। शाक्–सब्जियों में अनेक रोगों को जड़ से नष्ट करने की अचूक क्षमता होती है।

प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जलवायु और मौसम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप विश्व में पैदा होन वाली सभी प्रकार की सब्जियाँ यहाँ उपजती तो हैं परन्तु लत्तरवाली सब्जियों का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय सब्जी उत्पादन में लत्तरवाली सब्जियों का आर्थिक महत्व अधिक है। इन्हें उगाना सरल है। आप जहाँ उगा सकते हैं, परन्तु इन सब्जियों की उत्पादकता प्रति इकाई भूमि में बहुत कम है। परम्परागत किस्मों की उन्नत तथा संकर किस्मों की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाय तो उत्पादन तथा उत्पादकता अवश्य बढ़ेगी। परन्तु सब्जी उत्पादन में हम अभी भी विष्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

वर्तमान स्थिति : हमारे देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़कर वर्ष 2000 के अनत तक एक अरब पछत्तर लाख से भी अधिक हो गई है। जिसके लिए 90 मिलियन टन प्रतिवर्ष सब्जी की आवश्यकता है। परन्तु हमारे राष्ट्र में अभी सब्जी का कुल उत्पादन 72.00 मिलियन टन ही है तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 145 ग्राम ही सब्जी मिल रही है। जबकि आहार वैज्ञानिकों ने अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 285–300 ग्राम सब्जी खाने की सिफारिश की है। यदि हम भारत की वर्तमान जनसंख्या को 200 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खिलाना चाहे तो हमें 100 मिलियन टन सब्जी का प्रतिवर्ष उत्पादन करना होगा। इसके लिए हमें सब्जियों की उन्नत किस्मों की वैज्ञानिक खेती करनी होगी।

भारत की जनता शाकाहारी तो है लेकिन विडम्बना तो यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति केवल 145 ग्राम सब्जी ही खा पाता है जबकि मांसाहारी देश अमेरिका में प्रति व्यक्ति 320 ग्राम, ब्रिटन में 425 ग्राम, जापान में 500 ग्राम, फ्रांस में 300 ग्राम तथा पाकिस्तान में मात्र 70 ग्राम, सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। इसका मूल कारण यह है कि विश्व के इन देशों के नागरिकों ने सब्जियों का भोजन में महत्व की अच्छी तरह समझा है। उनका मानना है कि

सब्जियों की अधिकता वाला भोजन करने के आँखे चमकीली एवं तेज, दाँत मजबूत, बाल काले एवं घने, शरीर सुदृढ़ और मजबूत तथा पाचन शक्ति प्रखर बनी रहती है।

विशेषता : ई वर ने हमें अनुपम उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप भारत की इस पवित्र धरती पर विभिन्न प्रकार की शाक्–सब्जियाँ उउपजती हैं जिनमें कद्दू वर्गीय लत्तर वाली सब्जियों की विशेष अहमियत है। इनके लोक प्रियता के निम्नलिखित कारण है :

1. लत्तर वाली सब्जियों की कृषि प्रणाली अत्यन्त सरल है। अतः इनकी खेती अत्यन्त लोकप्रिय है।
2. लत्तर वाली सब्जियों का प्रति हेक्टर बीज दर अत्यन्त कम है तथा उत्पादन में लागत खर्च भी कम है।
3. लत्तर वाली सब्जियों की खेती सालों भर होती है।
4. इनकी बागवानी न केवल समतल जमीन पर होती है बल्कि पेड़ों पर, छप्परों पर, आँगन में तथा नदियों के किनारे पर भी की जाती है।
5. कद्दू परिवार की लत्तर वाली सब्जियों के बिना प्रत्येक गृह–वाटिका अधूरी मानी जाती है।
6. इस वर्ग की सब्जियों का भंडारण आसान है तथा इन्हें दूर–दराज के बाजारों में आसानी पूर्वक बेचा जा सकता है।

वर्गीकरण : कद्दू परिवार की लत्तर वाली सब्जियों को मुख्य दो वर्गो में बाँटा जा सकता है।

1. **आग पर पकाकर खायी जाने वाली कद्दू परिवार की लत्तर वाली सब्जियाँ** : इस वर्ग में ऐसी सब्जियों को रखा गया है जिनको सदैव आग पर पकाकर ही सब्जी के रूप में खाया जाता है। इनकी आप भुजिया, रसदार, सब्जी, कोफ्ता तथा पकौड़ा भी बना सकते हैं। जैसे कद्दू, लौकी, नेनुआ, झिंगल, करैला, सीस कुम्हड़ा, टिन्डा, चप्पन कद्दू तथा चठैल मुख्य हैं। परवल की खोवा भरी मिठाई तथा कुन्दरू का जायेकेदार आचार सबके मन को हर लेता है।
2. कच्ची, बिना पकाये खायी जाने वाली कद्दू परिवार की लत्तर वाली सब्जियाँ : इस वर्ग में ऐसी सब्जियों को रखा गया है जिनको कच्ची अवस्था में सलाद के रूप में भोजन के साथ या बाद में खाया जाता है। जैसे : खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि। इस सब्जियों के उपयोग की प्रधनता फल की तरह है।

उत्पादन वृद्धि के तरीके

जलवायु : लत्तर वाली सब्जियाँ गर्मी मौसम अधिक पसन्द करती हैं। औसत तापक्रम 60–85 फारेनहाइट होना चाहिएस। विशेष नमी से कीड़े एवं व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाता है। शुष्क एवं विशेष गर्म जलवायु में फलन कम हो जाता है। तथा लतायें सुखने लगती हैं।

भूमि एवं उसकी तैयारी

ये सब्जियाँ किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगायी जा सकती है, परन्तु इनकी अन्छी पैदावार के लिए जल निकासयुक्त दोमट, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश हो, अधिक उपयुक्त होती है।

खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा अन्य जुताईयाँ देशी हल से करना चाहिए। बुआई के एक महीना पहले खेत में गोबर की सड़ी खाद अथवा कम्पोस्ट (200–250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) की दर से अच्छी तरह मिला देना चाहिए।

उन्नत किस्मे : व्यवसायिक दृष्टि से लत्तर वाली सब्जियों की उन्नत किस्में निम्नलिखित है

कद्दू : राजेन्द्र चमत्कार, ढोली सफेद, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत (संकर), पूसा समर प्रौलिफिक लौंग एवं राउण्ड तथा स्थानीय प्रभेद।

करैला : पूसा दौ मौसमी, बारहमासी, जौनपुरी स्थानीय प्रभेद।

कोहड़ा : ग्लोब परफेक्शन, लाल कोहड़ा बड़ गील।

नेनुआ : राजेन्द्र नेनुआ–1, पूसा चिकनी, सतपुतिया

परवल : राजेन्द्र परवल–1, राजेन्द्र परवल–2, हिल्ली, डन्डाली, निमियाँ, सफेदा, गुथलिया, स्वर्णरेखा, स्वर्ण अलौकिक, संतीखवा।

खीरा : बालम खीरा, पूसा संजोग, जापनी लौग ग्रीन

झिंगनी : पूसा नसदार, सतपुतिया।

खरबूज : सूगर बेबी, पूसा महारस, दुर्गापुर मध पंजाब संकर।

तरबूज : सूगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति दुर्गापुर केसर।

बुआई का समय एवं विधि : बुआई का सम भिन्न–भिन्न स्थानों पर अलग–अलग होता है। परन्तु रबी मौसम के लिए बीज दिसम्बर से फरवरी तक बोना चाहिए।

इस सब्जियों के बीज थाले या नाले में बोये जाता हैं। थाला–नाला में एक स्थान पर दो–तीन बीज बोना चाहिए। बाद में एक–दो पौधा ही रखना चाहिए। थला में नमी बनाकर बीज को भींगाकर अंकुरित व लगाना चाहिए।

लगाने की दूरी एवं बीजदार : कद्दू, कोहडी, नेनुआ, झिंगनी, परवल

खरबूज, तरबूज : 1.5 से 2 मी0 दोनों ओर

खीरा, करैला : 1 से 1.5 मी0 दोनों ओर से अपेक्षाकृत कम दूरी हर मौसम में विशेष लाभदाय होता है।

बीज दर : कद्दू, नेनुआ, कोहड़ा, करैला (6 किलोग्राम प्रति हेक्टर खीरा, झिंगनी–2.5–3.5 किलाग्राम प्रति हेक्टर।

खाद एवं उर्वरक : रबी मौसम में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग सिंचाई सुविधा के अनुसार करना चाहिए। जैविक खाद का व्यवहार से मिट्टी की स्थिति सुधरती है तथा नमी बनी रहती है। खाद एवं उर्वरक की औसत मात्रा निम्न प्रकार देना चाहिए।

कद्दू, कोहरा, नेनुआ : 200 क्विंटल कम्पोस्ट, 150–200 किग्रा0 यूरिया, 250–300 किग्रा0 सिंगल सूपर फॉस्फेट, 60 किग्रा0 पोटाश प्रति हेक्टर।

करैला, खीरा, झिंगनी : 150–200 क्विंटल कम्पोस्ट, 200–250 किग्रा0 सिंगल सूपर फॉस्फेट, 60 किग्रा0 पोटाश/हेक्टर। कद्दू, कोहरा तथा नेनुआ में नेत्रजन तीन किस्तों में उपरिवेशन के रूप में तथा करैला, खीरा, झिंगनी में दो किस्तों में देना अधिक लाभदायक होता है।

सिंचाई : 10 दिनों के अन्तराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए।

निकाई–गुड़ाई : सिंचाई के बाद उपयुक्त समय पर निकाई–गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रित रहता है और नमी भी बनी रहती है।

सहारा देना : लत्तीदार सब्जियों में सहारा देना अतिआवश्यक है। इसके लिए बाँस गाड़कर मचान बनाना चाहिए। सहारा देने से लत्तरवाली सब्जियों में वृद्धि अच्छी होती है एवं अधिक फल लगते हैं। ऐसा करने से पौधों को धूप एवं हवा अच्छी तरह मिलती है। इस तरह कीड़े–मकोड़े एवं रोगों का प्रकोप भी कम होता है। अतः सहारा देने के काम को अच्छी ढंग से करना चाहिए। इसी पर अधिक फलन एवं अच्छी उपज निर्भर करती है। कुछ लत्तीदार सब्जियों जैसे नेनुआ, परवल, कुंदरी आदि की लत्तियाँ जमीन की संपर्क में आकर गाँठों से जड़ निकल आती है और व्यक्तिगत पौधे के समान व्यवहार करने लग जाते हैं, जिससे शाकीय वृद्धि अधिक होती है और फलन कम होता है। अतः इस अवगुण से बचाने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है।

उपज : उचित ढंग से खेती करने पर निम्नलिखित औसत उपज प्राप्त किये जा सकते हैं :

कद्दी, कोहड़ा, परवल : 125 से 150 क्विंटल/हेक्टर

नेनुआ, खीरा : 80–90 क्विंटल/हेक्टर

करैला, झिंगनी : 60–65 क्विंटल/हेक्टर

पौधा संरक्षण : लत्तीदार सब्जियों में लगने वाले मुख्य कीड़ों, लाल कीड़ा, फल की मक्खी, एपीलैकना बीटल एवं जौमिड है। ये पत्तियों, तना, फूल तथा फल खाते हैं एवं पत्तियों के रस चूसते हैं जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। फलतः उपज सीधे प्रभावित होता है, इसके नियंत्रण के लिए कार्बोरिल 50 प्रतिशत : डब्लू0 पी0 1.5 से 2 किलोग्राम या इन्डोसल्फान 35 ई0सी0 1 से 1.5 लीटर या लिण्डेन 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करना चाहिए।

लत्तीदार सब्जियों में एन्थ्रेक्नोज, मोजैक, पर्णदाग एवं जड़ गलन बीमारियाँ मुख्य रूप से लगती है। इन्थ्रेक्नोज की बीमारी में पत्तियोंएवं एवं तनों पर धब्बे हो जाते हैं एवं काले पड़ जाते हैं। इस रोग से बचाने के लिए इमीसान 6 का 2 ग्राम अथवा वैभिस्टीन 1 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से बीजोपचार करके ही बीज बोना चाहिए। खड़ी फसल में लगे रोग से बचाव के लिए इन्डोफिल एम0–45, 2 से 2.5 किग्रा0 प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मोजैक नामक बीमारी में पत्ते सिकुड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों के बीजो का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि यह विषाणु जनित रोग है जिसका फैलाव कीटों द्वारा होता है। पर्णदाग की बिमारी में पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इन्डोफिल एम0–45, 2 से 2.5 किग्रा0 प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

आवश्यकता पड़न पर छिड़काव 10–15 दिनों पर आव यकतानुसार छिड़काव करना चाहिए। इससे बचाव के लिए बीज को इमीसान 6 या थिरम या वैविस्टीन द्वारा उपचारित कर ही बोना चाहिए।

अगेती फूलगोभी की उन्नत खेती

भारतवर्ष में पूरे साल फूलगोभी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगेती फूलगोभी की खेती प्रायः सभी राज्यों में किसानों भाई अधिक मुनाफा पाने के लिए करते हैं। भारत में विशेषकर अगेती फुलगोभी की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराँचल, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में होती है। अगेती फूलगोभी की खेती में किसानों को कम उत्पादन प्राप्त होता है। क्योंकि इस फसल में कीट–व्याधियों एवं बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अतः अगेती फूलगोभी की उन्नत खेती के लिए निम्नालिखित बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है–

खेत की तैयारीः फूलगोभी की अगेती फसल के लिए खेत में मई–जून माह में तीन से चार–बार गहरी जुताई करें। सूर्योदय से पहले खेत में जुताई करने से मिट्टी में उपस्थित कीटों को चिड़िया खा जाती है। दोपहर में तेज धूप से बीमारियों के वाहक कीट एवं भूमि मे पाये जाने वाले हानिकारक कीट एवं बीमारियों के तन्तु भी नष्ट हो जाते हैं। अगेती फूलगोभी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की पी. एच. 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। 7.0 से अधिक पी. एच. वाली भूमि में बोरॉन, जिंक एवं सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अतः खेत की तैयारी के समय इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में या खड़ी फसल में अवश्य दें।

खाद एवं उवर्रक : वर्तमान समय में अधिकतर पोषक संकर बीज का प्रयोग अधिक उत्पादक हेतु कर हैं। ऐसी परिस्थिति में भूमि में पोषक तत्वों की कमी अधिक मात्रा में हो जाती है। अतः अगेती फूलगोभी निम्नालिखित मात्रा में प्रति एकड़ खाद एवं उर्वरक प्रयोग करें:–

गेबर की खाद : 300 क्विंटल
नीम की खल्ली : 30–35 किलो ग्राम
वर्मी कम्पोस्ट : 30–40 क्विंटल
यूरिया : 25 किलो ग्राम
टामोनियम सल्फेट : 125 किलो ग्राम
सुपर फास्फेट : 200 किलो ग्राम

म्यूरेट ऑफ पोटाश : 70 किलो ग्राम

खाद का सही प्रयोग हो इसके लिए वर्ष में एक बार अपने खेत की मिट्‌टी जाँच अवश्य करायें ताकि आपको अपने खेत के विषय में उचित जानकारी प्राप्त हो सके। उपलब्ध तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाद एवं उर्वरक की मात्रा घट बढ़ सकती है।

बोरॉन की कमी से अगेती फूलगोभी में सड़न पैदा हो जाती है। उसमें तने और फूल पर नम चकते हो जाते हैं जो बाद में बढ़कर जंग की तरह के भूरे धब्बे उप्पन्न कर देते हैं, और भूरा, कड़वा और छोटा बना देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 5–6 किलो ग्राम सुहागा प्रति एकड़ की दर से खेत में प्रयोग करें। खड़ी फसल में बोरान का प्रयोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर स्प्रे करें।

नर्सरी की तैयारीः बीज की सही देखभाल एवं अधिक उत्पादक के लिए नर्सरी में पौध तैयार करना काफी फायदेमंद रहता है। अगेती फूलगोभी की नर्सरी की तैयारी जून माह के अन्तिम पखवाड़े में करें। चूंकि उस समय तापमान अधिक रहता है तथा वर्षा द्वारा बीज को नुकसान का खतरा बना रहता है, इसलिए नर्सरी में बीज गिराने से क्षति होने का खतरा काफी कम हो जाता है। नर्सरी बनाते समय ऊँची भूमि का चुनाव करें जहाँ पानी लगने का खतरा कम हो। एक एकड़ के लिए पौधा तैयार करने के लिए 2 मीटर लम्बा एवं 1 मीटर चौड़ा भाग बीज की बोआई के लिए पर्याप्त है। मिट्‌टी ढ़ीली, भूरभुरी एवं कार्बनिक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। एक एकड़ फूलगोभी की खेती के लिए बनाई गई पौधाशाला में 20 ग्राम डाईअमोनियम फॉस्फेट, 15 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 15 ग्राम यूरिया, 3–4 किलो ग्राम वर्मीकम्पोस्ट डालकर अच्छी तरह मिट्‌टी में मिला दें। मिट्‌टी की कोड़ाई करने के बाद पौधाशाला की मिट्‌टी को मैन्कोजेब की 2.5 मिली मात्रा को प्रति। लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। तत्पश्चात क्यारियॉ तैयार करें और तैयार क्यारियों में लगभग 5–6 सेंटी मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ की गहराई पर बीज इस प्रकार बोये कि एक जगह पर एक ही बीज पड़े। बीज को सड़ी हुई गोबर की भुरभुरी खाद एवं बालू की समान मात्रा मिलाकर ढक दें। पौधों के खेत में रोपण करने से पूर्व 1 ग्राम स्ट्रैप्टोसाइक्लिन को 4 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को शोधित करें रोपण कतार से कतार 40 सेंटी मीटर पौध से पौध 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। रोपाई के तुरन्त बाद पौधों की सिचाई करें।

बीज की मात्रा एवं शोधनः अगेती फूलगोभी के लिए अधिक बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत प्रभेद के लिए 250–300 ग्राम एवं संकर किस्म के लिए 100–180 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। बीज को शोधित करने के लिए थीरम या कैप्टाफ या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्र प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से करें।

बीज का चुनावः अगेती उत्पादन के लिए अग्रती फूलगोभी की उन्नत किस्म का सही चुनाव अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा फूलगोभी में कर्ड भली–भाँति से नहीं बनता है। यदि मध्यम या पिछेती किस्म को किसान अगेती फूलगोभी के लिए लगाते है। तो फूल ठीक से नहीं बनता और फूलगोभी के बीज में से पप्तेदार संरचना आ जाती है। अगेती किस्म का

चुनाव करते समय अधिक पत्तेवाली किस्म को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि अधिक तापमान व धूप से बचाने के लिए फूल को पत्तियों से ढ़का जा सकें और फूल अधिक सफेद और कसा हुआ बना रहें। यदि बीज शोधित नहीं है तो बीज का शोधन अवश्य करें। बीज सदैव अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें। कुछ अगेती फूलगोभी की किस्में इस प्रकार है–

पूसा दिपालीः इसके पौध सीधे खड़े, पप्तियाँ लम्बी, हरी तथा चिकनी होती है। पौधाशाला में बीज की बुआई जुलाई तथा रोपण अगस्त में करते हैं। इससे प्रति एकड़ 45–50 क्विंटन तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

पन्त गोभी 4 : यह किस्म 60–65 दिनों में तैयार हो जाती है तथा उपज लगभग 45–50 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त की जा सकती है।

पूसा सिन्थेटिकः यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अगेती किस्म है। इसकी उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है।

पूसा कार्तिकी : इस किस्म के फूल भूरे रंग के व बिखरे हुए होते है। फलो का औसत भार 300 से 400 ग्राम तक होता है। फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है।

कोषी क्वारी : यह किस्म 65–70 दिन में तैयार हो जाती है। औसत उपज 48–55 क्विंटल प्रति एकड़ होती है।

सिंचाई एवं निराई गुड़ाई : अगेती किस्मों में आवश्यकतानुसार 15–20 दिनों के अन्तर में सिंचाई करनी चाहिए। अगेती फूलगोभी में आवश्यकतानुसार जल्दी–जल्दी निराई–गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि वर्षा के मौसम में पानी की वजह से भूमि की ऊपरी सतह कड़ा हो जाता है। प्रतिरोपण के 4–5 सप्ताह बाद पौधों को मिट्टी सहित थोड़ा सा उठा देना चाहिए।

फूल की गुणवत्ता बढ़ाना : फूलगोभी के फूल को पीला होने से बचाने के लिए पत्तियों को ऊपर समेटकर उनके सिरों को बॉध देना चाहिए। इस प्रक्रिया से फूल के पूर्ण रूप से परिपक्व होने पर करनी चाहिए।

अगेती फूलगोभी की प्रमुख समस्याएँ : फूल के बीज से पत्तों का निकलनाः यह समस्या अगेती फूलगोभी में मुख्यतः अधिक तापमान के कारण होती है। इसके बचाव के लिए उचित किस्म का चुनाव करना चाहिए जो अधिक तापमान के प्रति सहनशील हो।

फूल का बैंगनी एवं गुलाबी होना : कभी–कभी फूलों का रंग हल्का बैंगनी या गुलाबी हो जाता है। इसके बचाव के लिए ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिसमें पत्तियों स्वयं फूल के ऊपर सुरक्षा कवच बना देती हों। दूसरा कारण मिट्टी मे पोटाश की कमी का होना है, अतः खेत में पोटाश की अनुशासिंत मात्रा का सही प्रयोग करें। पोटाश की कीम होने पर बैंगनी रंग पत्तियों पर भी दिखाई देता है।

परिपक्वता से पहले फूल का बनना : नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रूक जाती है, जिससे फूल छोटा और समय से पहले बन जाता है। दूसरा कारण मौसम के अचानक गर्म और शुष्क हो जाने पर भी यह स्थिति आ जाती है।

प्रमुख बीमारियाँ : मदुरोमिल आसिताः इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैन्कोजेब कवकनाशी 0.25

प्रतिशत+कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत को 2.5 मिली लीटर प्रति 1 लीटर पानी मे घोलकर रोग की प्रारम्भिक अवस्था या रोग आने से पहले ही स्प्रे करें।

धब्बा रोगः प्रारम्भ में पत्तियों से शुरू होकर यह रोग सम्पूर्ण पौधे पर फैल जाता है और सड़न पैदा करता है। इसकी रोकथाम के लिए उपरोक्त दवा की अनुशासित मात्रा का प्रयोग करें। बुआई से पूर्व बीजोपचार अवश्य करें।

प्रमुख कीट

पत्ती एवं पौधे काटने वाले कीट : यह कीड़ा नए पौधों को रात के समय कुतर कर काट देता है। रोकथाम के लिए मिट्टी में हेप्टाक्लोर या क्लोरडेन 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें।

हीरक पृष्ठ कीट : इसका पिल्लू 1 सेंटी मीटर तक लम्बा, हल्का हरा या भूरे रंग का होता हैं। यह सूँडी पत्ती की निचली सतह पर छोटे–छोटे छिद्र बनाती है। इसकी रोकथाम के लिए फेनवलरेट 0.3 मिली लीटर, डीकामेथ्रिन 0.5 मिली लीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

अगेती फूलगोभी में कीटों का प्रकोप कम करने के लिए प्रमुख सुझावों पर ध्यान दें–

1. गोभी की फसल के चारों ओर या बीज–बीज में सरसों या गेंदा के पौधे अवश्य लगाएँ।
2. गर्मी में खेत की 3–4 गहरी जुताई करें उसमें नीम की खल्ली, नीम की पत्ती सरसों की खल्ली अवश्य मिलावें।
3. मिट्टी में ट्राइकोडरमा का प्रयोग अवश्य करें। बीजोपचार के लिए 5 ग्राम प्रति 1 किलो बीज, नर्सरी उपचार के लिए 200 ग्राम का प्रयोग करें।